रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 397] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 1993/कार्तिक 21, 1915
No. 397] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 1993/KARTIKA 21, 1915

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1993

सा.का.नि. 704(अ)—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट न्यासी मंडल द्वारा विशाखापट्टनम पोर्ट के लिये बनाये गये विशाखापट्टनम पोर्ट कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1993 का अनुमोदन करती है और उसे इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में लगाया गया है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से लागू होंगे।

[स.पी. आर-12012/19/93-पी ई-1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

विशाखापट्टनम पोर्ट कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1993

सा.का.नि.———महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापट्टनम पोर्ट कर्मचारी (सा. भ.नि.) विनियम, 1964, भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी.एस.आर. सं. 328, दि. 29-2-1964 का अतिक्रमण करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत यथा अपेक्षित केन्द्र सरकार से अनुमोदन की शर्त पर विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

1. लघुशीर्ष और प्रारम्भ :—(क) इन विनियमों को विशाखापट्टनम पोर्ट कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1993 कहा जायेगा।

(ख) ये नियम केन्द्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. व्याख्या : इन विनियमों में जब तक प्रसंग से दूसरी बात अपेक्षित न हो।

(1) "लेखा अधिकारी" का अर्थ वित्तीय सलाहकार एवं बोर्ड के मुख्य लेखा अधिकारी है।

(2) "बोर्ड", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" शब्दों का अर्थ महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में निर्धारित जैसा ही रहेगा ।

(3) "परिलब्धियां" का अर्थ वेतन, छुट्टी वेतन या केन्द्रीय सरकार के मूल नियमों या बोर्ड द्वारा बनाये गये किन्हीं विनियमों, जो भी अंशदाता के लिये लागू हो और अंशदाता को विदेश या अन्य सेवा से वेतन के समान प्राप्त किसी भी प्रकार के मेहनताना से है, जिस में सवारी भत्ता, मकान किराया भत्ता, समयोपरि भत्ता, सीमेंट जांच भत्ता, प्लावी जलयान पर्यवेक्षण शुल्क, गोता भत्ता और और राशन भत्ता आदि शामिल नहीं हो ।

बशर्ते कि "लाइटरमैन" और क्रेन (एलक्ट्रिकल) ड्राइवरों के संबंध में "परिलब्धियां" का अर्थ समय-समय पर बोर्ड द्वारा नियत की जाने वाली राशियों से होता है ।

(4) "कर्मचारी" का अर्थ बोर्ड का एक कर्मचारी है ।

(5) "परिवार" का अर्थ

(1) पुरुष अंशदाता के विषय में, पत्नी या पत्नियां, माता, पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहिनें, मृत बेटे की विधवा, एवं बच्चे, तथा जहां अंशदाता के माता-पिता जीवित नहीं होते, वहां पिता के माता पिता है ।

बशर्ते कि अंशदाता यह प्रमाणित करे कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे अलग हो गई है या वह अपने समाज के सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार वह निर्वाह व्यय की हकदार है । इसके बाद वह इस विनियमों से संबंधित मामलों के लिये तब तक अंशदाता के परिवार की सदस्या नहीं मानी जायेगी जब तक अंशदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसे निरंतर सदस्या समझा जाये ।

(ii) स्त्री अंशदाता के विषय में पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाइयों, अविवाहित बहिनों, मृत पुत्र की विधवा और बच्चे और जहां अंशदाता के माता और पिता जीवित नहीं है; एक पैतृक माता पिता है ।

बशर्ते कि अंशदाता लिखित रूप में अपने विभागाध्यक्ष को यह बता दे कि उसके पति का नाम उसके परिवार से हटा दिया जाये । उसके बाद से उसका पति अंशदाता के परिवार का सदस्य उन मामलों में तब तक नहीं माना जायेगा जो इस विनियमों के अन्तर्गत आते हैं जब तक वह पुनः लिखित रूप में इसे रद्द करने के लिए आवेदन न दे ।

नोट :— शिशु (बच्चा) का अर्थ वैध संतान है और इसमें गोद लिया गया बच्चा भी शामिल है । जहां गोद लिया जाना वैध स्वीकार किया गया है, अंशदाता के वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अथवा गार्डियन और वार्ड अधिनियम, 1890 के (1890 का 8) के तहत आश्रित को जो कर्मचारी के साथ रहता है और उसका एक सदस्य समझा जाता है ।

(6) "निधि" का अर्थ विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि है ।

(7) "छुट्टी" का अर्थ केन्द्रीय सरकार के मूल नियम या कोई अन्य नियम या नियमों द्वारा या केन्द्रीय सरकार के आदेशों या महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के अधीन बनाये गये छुट्टी नियमों, यदि है तो, के अनुसार है जो भी अंशदाता के लिए लागू होता है ।

(8) "वर्ष" का अर्थ वित्तीय वर्ष है ।

(9) इन विनियमों में उपयोग किये गये किसी अन्य वाक्यांश का अर्थ जिस की परिभाषा निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) या केन्द्रीय सरकार के मूल नियम या उप नियम (7) में उल्लिखित छुट्टी विनियमों में दी गयी है, (अंशदाता के लिए जो भी लागू होता है) उसी अधिनियम, नियम या विनियमों में निर्धारित अर्थ के समान ही होगा ।

(10) इन विनियमों से अन्यथा न होने पर—इस विनियमों का वर्तमान सामान्य भविष्य निधि वर्तमान या नयी निधि के गठन पर कोई प्रभाव (अंतर) नहीं पड़ेगा ।

(11) अब तक गठित किये गये सामान्य भविष्य निधि ही लागू रहेंगे और इस विनियमों के तहत गठित और जारी माने जायेंगे ।

3. निधि का गठन और प्रबंधन : निधि को मंडल द्वारा प्रशासित किया जाएगा और भारत में रुपयों में चलाया जाएगा ।

4. पात्रता की शर्तें :—पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारी, जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष या उससे अधिक लगातार सेवा में रहे हैं उन्हें इस निधि का अंशदाता बनना अपेक्षित है । इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को जिन अस्थाई कर्मचारियों का सेवा काल एक वर्ष से कम होता है, उन्हें अपनी सेवा के एक वर्ष पूरा होने के बाद वाले महीने से इस निधि का अंशदाता बनना होगा । परिवार का और जिसके लिए कर्मचारी है, विशेष रूप से स्वाभाविक रूप से पैदा होने का दर्जा ही दिया जाएगा ।

(2) बोर्ड अपने स्वनिर्णय से किसी भी वर्ग के कर्मचारियों को निधि के अंशदाता बनाने को बाध्य करेगी ।

(3) किसी अंशदायी भविष्य निधि के अंशदाताओं को इस निधि के अंशदाता बनने की आवश्यकता नहीं है ।

5. इन विनियमों के आरम्भ होने पर सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1964 के अधीन स्थापित सामान्य भविष्य निधि में मौजूद किसी कर्मचारी की शेष जमा को इन विनियमों के अधीन स्थापित निधि के खाते में जमा कर दी जायेगी।

6. नामांकन :—(1) अंशदाता निधि का सदस्य बनते समय निधि के अपने खाते में जमा रकम को उस राशि के देय योग्य या देय योग्य होने पर या नहीं दिये जाने के पहले अपनी मृत्यु के बाद निधि में उसके खाते में जमा रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए एक या अधिक व्यक्तियों का एक नामांकन लेखा अधिकारी को भेजेगा।

बशर्ते कि नामांकन करते समय यदि अंशदाता का परिवार है तो नामांकन उसके परिवार के किसी एक सदस्य या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर होना चाहिए।

आगे बशर्ते कि इस निधि का सदस्य बनने से पहले अंशदाता यदि किसी दूसरी भविष्य निधि के लिए अंशदान देता रहा हो तो अन्य निधि के उसके खाता में जमा राशि को इस निधि की जमा में स्थानांतरित किए जाने पर, इस विनियम के अनुसार नामांकन न किये जाने तक इस निधि के विनियमो के अधीन विधितया पूर्व नामांकन को ही स्वीकार किया जाएगा।

(2) यदि एक अंशदाता उप विनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करे तो उसे अपने नामांकन में किसी भी समय पर निधि के अपने खाते में जमा संपूर्ण राशि को मनोनीत हर एक व्यक्ति को देय भाग की राशि का विनिर्देशन करना होगा।

(3) हर एक नामांकन संलग्न की गयी पहली सूची में दिये गये फार्म में किया जाना है।

(4) विभागाध्यक्ष को लिखित रूप में सूचना भेज कर अंशदाता किसी भी समय में नामांकन को रद्द कर सकता है। उस सूचना के साथ या अलग से अंशदाता को इस विनियम के उपबंधो के अनुसार बनाये गये एक अद्यतन नामांकन पत्र को भेजना होगा।

(5) एक अंशदाता नामांकन में यह स्पष्ट करेगा कि:

(क) किसी भी विनिर्देशित मनोनीति के बारे में, अंशदाता से पूर्वाधिकार प्राप्त कर लेने की अवस्था में मनोनीत व्यक्ति को प्रदान किया गया अधिकार नामांकन में विनिर्देशित अमुख व्यक्ति या व्यक्तियों पर हो जाता है बशर्ते कि ऐसा अमुख व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय ऐसे ही अन्य सदस्य या सदस्यगण हो जाता है यदि अंशदाता के लिए अपने परिवार के अन्य सदस्य विद्यमान होता है। जहां चन्दादार ऐसे अधिकार इस धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों पर प्रदान करता है। उसे ऐसे अमुख व्यक्तियों के हर एक की देय राशि या अंश को ऐसा विनिर्देशित करना है, जिससे कि कुल राशि मनोनीत व्यक्तियों को भुगतान कर सके।

(ख) उसमें विनिर्देशित आकस्मिकता के घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जायेगा।

बशर्ते कि नामांकन करते समय यदि अंशदाता के परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति विद्यमान रहता है तो उसे नामांकन में यह बताना चाहिए कि धारा (क) के अधीन वैकल्पिक मनोनीत व्यक्ति पर प्रदान किया गया अधिकार बाद में अपने परिवार में अन्य सदस्य व सदस्यों के आ जाने की अवस्था पर अमान्य हो जायेगा।

(6) एक मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद जिसके संबंध में उप विनियम (5) की धारा (क) के अधीन नामांकन में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है या किसी घटना के घटित होने के कारण उप विनियम (5) की धारा (ख) के अनुसार नामांकन अमान्य हो जाता है या वहां के परन्तुक के अनुसार, अंशदाता को लिखित रूप में नामांकन को रद्द करते हुए तथा इस विनियम के उपबंधों के अनुसार एक नया नामांकन जोड़ कर लेखा अधिकारी को सूचित करना चाहिए।

(7) अंशदाता द्वारा दिया गया नामांकन तथा रद्द से संबंधित हर सूचना, जहां तक उसकी मान्यता की सीमा है, विभागाध्यक्ष को प्राप्त तारीख से प्रभावी होता है।

7. अंशदाताओं के खाते :—हर एक अंशदाता के नाम पर एक खाता खोला जाएगा तथा उसमें निम्नलिखित दिखाया जाएगा।

(1) उसका अंशदान

(2) अंशदान पर विनियम-2 द्वारा यथा व्यवस्थित ब्याज

(3) निधि से अग्रिम और निकासी

8. अंशदानों की शर्तें :—

(1) निलंबित की गयी अवधि को छोड़कर एक ग्राहक को अपने अंशदान को मासिक रूप में अदा करना है।

बशर्ते कि एक अंशदाता अपने विकल्प से छुट्टी के दौरान अंशदान नहीं देगा जिस के लिए या तो छुट्टी का वेतन नहीं मिलता है या आधा वेतन या आधा औसतन वेतन के बराबर या कम छुट्टी वेतन मिलता है।

आगे बशर्ते कि एक अंशदाता जिन को एक अवधि के लिए निलंबित किये जाने के बाद फिर से नियुक्त किया जाता है, उसे उस अवधि के लिए देय अंशदानों के बकायों की अधिकतम राशि से अधिक न रहनेवाली किसी भी राशि को एक ही राशि में या किश्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया जायेगा।

नोट :—अंशदाता को अकार्य दिवस माने जाने वाली अवधि में अंशदान देने की जरूरत नहीं है।

(2) एक अंशदाता छुट्टी के दौरान अंशदान नहीं देने का अपना चुनाव (विनियम 8 के उप विनियम-1) को पहला परन्तुक को देखिए) लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा जो नियत समय पर सूचित नहीं करने पर यह माना जायेगा कि उसने अंशदान देना स्वीकार किया है। इस उप-विनियम के अधीन सूचित किया गया अंशदाता का विकल्प अंतिम माना जायेगा।

(3) जो अंशदाता विनियम-22 के तहत अपने खाते में निहित रकम निकाल लेता है वह ड्यूटी में वापस आने तक निधि का अंशदान नहीं करेगा।

(4) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी एक अंशदाता उसे सेवा में बहाल करने वाले महीने के लिए निधि में अंशदान तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह विभागाध्यक्ष को उक्त महीने के लिए अंशदान का विकल्प लिखित रूप में नहीं देता।

9. अंशदान की दर :—(1) अंशदान की राशि अंशदाता निम्न शर्तों के अधीन अपने आप निर्धारित करता है।

(क) यह राशि पूरे रुपयों में प्रकट की जायेगी।

(ख) ऐसे प्रकट की गई राशि उनकी परिलब्धियों के 6% की राशि से कम नहीं हो तथा उसकी संपूर्ण परिलब्धियों से ज्यादा नहीं करेगा।

बशर्ते कि इसके पहले 8 1/3% से अधिक दर से भविष्य निधि को अंशदान देने वाले अंशदायी के विषय में यह राशि अपनी परिलब्धियों में से 8 1/3% से, कम, तथा अपने संपूर्ण परिलब्धियों से ज्यादा नहीं रहेगी।

(ग) जब कर्मचारी न्यूनतम दर 6% या 8 1/3% दर पर जो भी लागू होता है—अंशदान देने के लिए तैयार होता तो है, रुपया का एक अंश निकटतम पूर्ण रुपये के रूप में मान लिया जाता है, 50 पैसे की अगले रुपये के रूप में गिनती की जाती है।

(ii) उप-विनियम (i) के प्रयोजन के लिए, अंशदाता के परिलब्धियों को :—

(क) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में कार्यरत अंशदाता की परिलब्धियों उस दिन तक उसके हक में रहेगी। बशर्ते कि :

(i) यदि अंशदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर रहे तो, और इस प्रकार की छुट्टी पर उनकी परिलब्धियां अंशदान नहीं देने के लिए चुने जाने पर अथवा उक्त तारीख पर निलंबित किये जाने पर उनके द्वारा ड्यूटी पर लौट आने के पहले दिन को हकदारी परिलब्धियों के बराबर रहेगा।

(ii) यदि अंशदाता उक्त तारीख को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर रहता है या उक्त तारीख पर वह छुट्टी पर रहता है तथा छुट्टी पर ही जारी रहता है, तथा ऐसी छुट्टी के दौरान उसे अंशदान के लिए तैयार है तो उसके द्वारा भारत में काम करते वक्त जिन परिलब्धियों के लिए वह हकदार था। वे ही उसकी परिलब्धियां होंगी।

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में न रहने वाले अंशदाता के विषय में उसके द्वारा निधि के सदस्य बनने की तारीख को उसके हक की परिलब्धियां।

(iii) हर एक साल में अंशदाता अपने मासिक अंशदान की राशि के निर्धारण की सूचना निम्नलिखित प्रकार करेगा।

(क) यदि वह पूर्व के मार्च 31 को ड्यूटी पर है तो उस महीने के अपने वेतन बिल से उसके लिए की गई कटौती द्वारा।

(ख) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च पर छुट्टी पर हो तथा वह उसे छुट्टी के दौरान अंशदान देने के लिए तैयार न हो, या उस तारीख पर उसे निलंबित किया गया हो तो उसके ड्यूटी पर लौट आने के बाद उसके पहले वेतन बिल से इसके लिए की गयी कटौती द्वारा।

(ग) यदि वह बोर्ड की सेवा में पहली बार उस वर्ष के दौरान भर्ती हुआ है तो, उसके निधि में सदस्य बनने वाले महीने के वेतन बिल से इसके लिए की गई कटौती द्वारा।

(घ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर हो, एवं वह छुट्टी पर जारी रहता है तथा वह ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान देने के लिए तैयार है तो उस महीने के अपने वेतन बिल से इसके लिए की गयी कटौती द्वारा।

(ङ) यदि पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को विदेशी सेवा पर हो तो चालू वर्ष में उसके द्वारा बोर्ड के खाते में अप्रैल महीने के लिए अंशदाता के लिए अपने द्वारा जमा की गई रकम।

(5) इस प्रकार से निर्धारित की गई अंशदान की राशि को :—

(क) वर्ष के दौरान किसी भी एक समय पर घटाया जाता है।

(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जाता है।

(ग) पूर्वोक्त के अनुसार घटाया तथा बढ़ाया जाता है।

बशर्ते कि जब अंशदान की राशि को जब घटाया जाता है तो वह राशि उप नियम (1) में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होनी चाहिए। आगे बशर्ते कि यदि अंशदाता बिना वेतन के अथवा आधे वेतन पर कैलेन्डर महीने के लिए आधे औसतन वेतन की छुट्टी पर है और वह इस प्रकार

की छुट्टी में अंशदान के लिए तैयार नहीं है तो, उपर्युक्त बताये गये से भिन्न छुट्टी सहित, यदि है तो, ड्यूटी पर बताये गये दिनों के अनुपात में अंशदान राशि देय होगी।

10. विदेशी सेवा में तबादला या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजना :

जब किसी कर्मचारी का विदेशी सेवा में तबादला हो, या प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर भेज दिया जाता है, तो निधि के नियमों के अधीन उसे उसी प्रकार रखा जाता है मानों कहीं भी उसका तबादला नहीं हुआ हो या प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया हो।

11. अंशदानों की वसूली : (1) जब परिलब्धियां भारत में ली जाती हैं, अथवा भारत से बाहर संवितरण प्राधिकृत कार्यालय से परिलब्धियां निकालने पर इन परिलब्धियों तथा मूल स्रोत एवं अग्रिम के ब्याज के अंशदानों की वसूली परिलब्धियों में ही की जाती है।

(2) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जाती हैं, अंशदाता अपनी बकायों को महीनेवार लेखा अधिकारी को भेजेगा :

बशर्ते कि ऐसे अंशदाता के विषय में जो कि सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में रहने वाले निगम निकाय में प्रतिनियुक्ति पर रहता है, उस निकाय द्वारा अंशदान की वसूली की जाती है तथा लेखा अधिकारी को भेजी जाती है।

(3) जब एक अंशदाता निधि में प्रवेश होने की तारीख से अंशदान नहीं दे पाता है या विनियम 8 के अनुसार एक वर्ष के दौरान किसी एक महीने या महीनों में अंशदान न दे पाता तो, विनियम-12 में बतायी गयी दर के हिसाब से ब्याज सहित निधि को देय अंशदान की बकाया कुल राशि अंशदाता द्वारा तत्काल निधि में जमा करनी चाहिए या विनियम-14 के उपविनियम (2) के अधीन पेशगी मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जैसा निर्देशित किया गया हो, भुगतान की चूक को लेखा अधिकारी के आदेश पर अंशदाता द्वारा परिलब्धियों को किश्तों के रूप में या अन्य प्रकार भुगतान किया जाये।

बशर्ते कि ऐसे अंशदाताओं को जिन की जमा के लिए ब्याज नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार का ब्याज देने की आवश्यकता नहीं।

12. ब्याज :— (1) उप-विनियम (5) के उपबंधों के अधीन हर वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर अंशदाता के खाते में बोर्ड को ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।

बशर्ते कि ऐसा अंशदाता जो पहले केन्द्रीय सरकार के किसी भी अन्य भविष्य निधि को अंशदान देता रहा हो तथा जिस के अंशदानों को विनियम-24 के तहत ब्याज सहित इस निधि के अपने खाते में भेज दिया गया हो, उसे 4% की दर पर ब्याज दिया जायेगा यदि वह उस अन्य निधि के नियमों के उपबंध के अनुसार उस दर का ब्याज प्राप्त करता रहा हो जो,—

(2) हर वर्ष के अन्तिम दिन से ब्याज की जमा निम्न प्रकार की जायेगी।

(क) पूर्व गामी वर्ष के आखिरी दिन को अंशदाता की जमा में रहने वाली राशि में से वर्तमान वर्ष में निकाली गई रकमों को कम करने के बाद 12 महीनों के लिए ब्याज।

(ख) चालू वर्ष में निकाली गयी रकमों पर—वर्तमान वर्ष के प्रारम्भ निकासी महीने के पूर्वगामी महीने के अंतिम दिन तक ब्याज।

(ग) पूर्वगामी वर्ष के अंतिम दिन के बाद अंशदाता के खाते में जमा की गई सभी रकमों पर—जमा करने की तारीख से वर्तमान वर्ष के अंतिम दिन तक ब्याज।

(घ) ब्याज की कुल जमा को निकटतम पूर्ण रुपये से पूरा करना है। (पचास पैसे की गिनती पूर्ण रुपये के रूप में समझी जायेगी)।

बशर्ते कि जब एक अंशदाता की जमा में पड़ी रकम देय योग्य होती है, इस विनियम के अधीन ब्याज की अवधि को वर्तमान वर्ष के प्रारम्भ से या जमा की तारीख से, जो भी लागू होता है, अंशदाता की जमा में पड़ी रकम देय योग्य होने की तारीख तक गिनी जाती है।

(3) इस विनियम में, परिलब्धियों से वसूली के विषय में जमा की तारीख उस महीने की पहली तारीख समझी जायेगी जिस महीने में उसे वसूली की गई है तथा अंशदाता के द्वारा भेजी गई रकम के विषय में उसे प्राप्त की गई महीने की पहली तारीख समझी जायेगी, यदि वह महीने की पांच तारीख या उसके बाद प्राप्त होती है, जमा की तारीख अगले महीने की पहली तारीख होगी।

बशर्ते कि जब अंशदाता का वेतन या छुट्टी का वेतन तथा भत्ता के भुगतान में विलम्ब हो जाता है जिसकी वजह से निधि के लिए उसका अंशदान भी विलंब हो जाता है, ऐसे अंशदानों पर ब्याज की गिनती अंशदाता के वेतन या छुट्टी का वेतन नियमों के अधीन देय होता है चाहे उसे जिस महीने में भी निकाली गयी हो।

आगे बशर्तें कि विनियम 11, के उप-विनियम (ii) के परन्तुक के अनुसार भेजी जाने वाली रकम के विषय में जमा की तारीख महीने की पहली तारीख समझी जायेगी, यदि उसे लेखा अधिकारी को महीने की पन्द्रहवीं तारीख तक प्राप्त हो।

आगे बशर्ते कि जहां एक महीने की परिलब्धियां निकाली गई हैं तथा उन्हें उसी महीने के अंतिम दिन पर वितरित किया गया है तो उसके अंशदानों की वसूलियों के मामलों में जमा की अंतिम तारीख आगे की महीने की पहली तारीख है।

(4) इसके अतिरिक्त किसी भी रकम विनियम–20, 21 अथवा 22 के अधीन भुगतान किया जाना हो तो उस प्रकार भुगतान किये जाने वाले व्यक्ति को भुगतान किये जाने की महीने की पहले महीने के अंतिम तक या ऐसे रकम को देय महीने के छः महीने तक इन दो अवधियों में जो भी कम हो ब्याज भुगतान किया जाता है ।

बशर्ते कि जहां लेखा अधिकारी उस व्यक्ति को (उसके एजेन्ट को) जिस तारीख पर भुगतान नकद रूप में अदा करने की तैयारी की गई सूचना देता है, या उस व्यक्ति को भुगतान करने के लिए चैक डाक में डालता है, ब्याज ऐसे सूचित महीने के पहले महीने की अंतिम दिन तक है, या चैक को डॉक में डालने की तारीख दोनों में जो भी लागू हो भुगतान करना होगा ।

आगे बशर्ते कि समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860का 21) के तहत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण निगम निकाय में प्रतिनियुक्ति पर रहनेवाला एक अंशदाता बाद में उसी निगम निकाय में पूर्व प्रभावी तारीख से लिया जाता है, अंशदाता के निधि–संचयनों पर देय ब्याज की गिनती के लिए समाहित से संबंधित आदेशों को जारी करने की तारीख अंशदाता की जमा की रकम देय योग्य तारीख समझी जायेगी। फिर भी बशर्ते कि इस उपनियम के अधीन ब्याज की गिनती के प्रयोजन के लिए समाहित की तारीख से शुरू होकर और समाहित के आदेशों को जारी की तारीख तक की अवधि के दौरान अंशदान के रूप में वसूली की गई राशि को निधि के लिए अंशदान समझी जायेगी ।

टिप्पणी : छः महीने की अवधि से ज्यादा तक की निधि बकाया पर ब्याज का भुगतान निम्नलिखित द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए :—

(क) एक वर्ष की अवधि तक लेख कार्यालय का प्रधान।

(ख) किसी भी अवधि तक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ।

उक्त व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के बाद अंशदान में विलम्ब का कारण अंशदाता अथवा इस प्रकार का भुगतान किया जाने वाले व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर था, मामले में मौजूद प्रशासनिक विलम्ब को पूर्णतः जांच किया गया और आवश्यक कार्यवाई की गयी ।

(5) जब अंशदाता लेखा अधिकारी को यह सूचित करता है कि उसे ब्याज प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तब अंशदाता के खाते में ब्याज की जमा नहीं की जायेगी, लेकिन बाद में जब वह ब्याज के लिए पूछता है, तब उसके द्वारा पूछे जाने वाले वर्ष के पहले दिन से ब्याज जमा की जाती है ।

(6) विनियम 11, विनियम 20 या 21 के उप विनियम (3), के अधीन रकमों पर मिलने वाली ब्याज निधि में अंशदाता की जमा के रूप में इस विनियम के उप विनियम (1) के अधीन यथा निर्धारित दरों के अनुसार गिनती की जाती है।

(7) यदि कोई अंशदाता अपने खाते में जमा निधि से अधिक रकम आहरित करता है, तो, अधिक आहरित की गयी रकम, चाहे वह अग्रिम रूप में हों अथवा आहरण अथवा निधि से अंतिम भुगतान या गलती से की गई हो उसे अंशदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त के रूप में घटाकर वसूल करने का आदेश दिया जाए। यदि वसूली रकम अंशदाता की परिलब्धियों में आधे से अधिक हो तो अंशदाता की सम्पूर्ण रकम ब्याज सहित वसूल होने तक मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी। इस उप-विनियम के लिए अधिक आहरित रकम के लिए ब्याज की दर 2-1/2 होगी जो उप विनियम (1) के तहत भविष्य निधि शेष पर प्रभारित योग्य है। अधिक आहरित रकम पर वसूल करने वाला ब्याज मंडल की निधि में जमा किया जाएगा।

13 अन्य सेवाओं से बदली: (1) हर मामले में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की मंजूरी होने पर सरकार की किसी अन्य सेवा या अन्य नियोक्ता की सेवा से बोर्ड की सेवा में दाखिल किसी भी व्यक्ति द्वारा इस निधि के अंशदाता हो जाने पर, उसके द्वारा बोर्ड की सेवा में प्रवेश होने की तारीख पर सरकार या किसी अन्य प्रयोक्ता द्वारा किसी भविष्य निधि में जमा निहित की गई रकम इस निधि में बदली की जायेगी। इस प्रकार बदली की गई रकम पर सिर्फ ब्याज दिया जाता है, बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का अंशदान अदा करने का अधिकार इसके संबंध में अंशदाता को नहीं मिलेगा।

(2) इस निधि के अंशदाता की सरकार या अन्य नियोक्ता की सेवा में स्थायी रूप से अंतरण किए जाने पर अंशदाता के भविष्य निधि की शेष राशि को नकद में भुगतान किये जाने की बजाए नये नियोक्ता के खाते में अंतरण की जायेगी तथा इन विनियमों को उसके ऊपर लागू नहीं किया जायेगा ।

(3) विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट में रखी गई भविष्य निधि रकम पर, रकम के अंतरण की तिथि तक साधारण दर से ब्याज बढ़ता रहेगा ।

14 निधि से पेशगियाँ : (1) निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए उपर्युक्त मंजूरी प्राधिकारी द्वारा किसी भी अंशदाता को भविष्य निधि की सम्पूर्ण राशि में से 3 (तीन) महीनों के वेतन या निधि के खाते की रकम की आधी राशि—जो भी कम हो—पेशगी के रूप में मंजूर की जायेगी ।

(क) अंशदाता और उसके परिवार के सदस्य या उस पर वास्तविक रूप में आश्रित किसी भी व्यक्ति की अस्वस्थता प्रसूति या विकलांगता से संबंधित व्यय की अदायगी के लिए जहां भी आवश्यक हो यात्रा भत्तों को भी शामिल किया जायेगा ।

(ख) अंशदाता और उसके परिवार के सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी भी व्यक्ति के यात्रा भत्तों को मिला कर निम्न मामलों से संबंधित उच्च शिक्षा के व्यय को पूरा करने के लिए, जो इस प्रकार है :—

(1) हाईस्कूल से ऊपरी स्तर की शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक या पेशा पाठ्यक्रम के संबंध में भारत के बाहर शिक्षा के लिए, तथा

(2) हाईस्कूल के ऊपर स्तर के किसी भी चिकित्सा, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए भारत में, बशर्ते कि शिक्षा की अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) अंशदाता के पद के समुचित पैमाने पर प्रचलित रूढ़ि द्वारा अंशदाता की सगाई, शादियों, दफन या अन्य समारोहों के सिलसिले में होने वाले अनिवार्य व्यय के भुगतान के लिए या उसकी परिवार के किसी भी व्यक्ति या उस पर वास्तविक रूप से आधारित किसी भी व्यक्ति द्वारा।

(घ) अपने कर्त्तव्य के पालन करने में अपने द्वारा किये गये किसी कार्य या किये जाने वाले किसी कार्य के बारे में अपने विरुद्ध किए गए आरोपों के संबंध में अपनी स्थिति को उचित ठहराने के लिए अंशदाता द्वारा या उसके विरुद्ध प्रारम्भ किए गए कानूनी कार्यवाहियों के व्यय चुकाने के लिए।

(ङ) टेलीविजन, वी.सी.आर., रेफ्रीजिरेटर या किसी मुख्य वस्तु की लागत चुकाने को :

बशर्ते कि इस उपविनियम के अधीन ऐसे अंशदाता को पेशगी स्वीकार नहीं की जायेगी जो किसी भी न्यायालय में अपने कर्त्तव्य से संबंध न रखने वाले मामला या बोर्ड के विरुद्ध अपनी सेवा शर्तों के संबंध में या अपने ऊपर आरोपित किसी अपराध पर किसी भी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(च) जब अंशदाता अपने ऊपर आरोपित किसी भी दुराचरण के बारे में की जाने वाली जांच से अपने को बचाने के लिए एक वकील को नियुक्त करता है, ऐसे समय पर अपने बचाव के लिए होने वाले व्यय को पूरा करने।

(छ) अध्यक्ष के स्वनिर्णय पर विपत्ति से संबंधित अन्य मामलों में।

(2) उचित मंजूरीकर्ता प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में किसी भी अंशदाता को पेशगी की मंजूरी कर सकता है यदि यह विश्वास हो जाये कि संबंधित अंशदाता को उपविनियम (1) में बताये गये कारणों को छोड़ कर अन्य कारणों से पेशगी की आवश्यकता है।

(3) लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर किसी भी अंशदाता को उप-विनियम (1) में दी गयी सीमा से अधिक या पिछली पेशगी की अंतिम किस्तों को ब्याज सहित चुकाने तक पेशगी नहीं दी जायेगी।

(4) पहले अग्रिम की आखरी किस्त चुकाने से पूर्व, यदि उप विनियम (3) के अंतर्गत अग्रिम मंजूर किया गया हो तो, पूर्व अग्रिम का वसूल न किया गया शेष भी इस प्रकार मंजूर किये गये अग्रिम में मिला दिया जायगा और उस समेकित राशि को ध्यान में रख कर वसूली के लिए किस्तों को निर्धारित किया जायगा।

(5) विनियम-23 के उप विनियम (3) के खंड (2) के अन्तर्गत, अंतिम भुगतान के लिए, आवेदन पत्र लेखा अधिकारी के पास भेजने के मामले में अग्रिम मंजूर होने के बाद, लेखा अधिकारी के अनुमोदन के प्रमाणीकरण पर रकम लिया जा सकता है।

नोट :

(1) इस विनियम के लक्ष्य के लिए जहां स्वीकार्य है वेतन में महंगाई भत्ता भी शामिल होगा।

(2) इस विनियम के लक्ष्य के लिए समय समय पर पेशगियों की मंजूरी के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी उचित मंजूरीदाता प्राधिकारी रहेगा।

(3) एक अंशदाता को विनियम 13 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन हर छः महीनों में एक बार पेशगी लेने की अनुमति दी जाती है।

15 पेशगी की वसूली : एक पेशगी को अंशदाता से उस प्रकार के समान मासिक किस्तों में वसूल की जायेगी जैसे उस पेशगी की मंजूरी के लिए प्राधिकृत अध्यक्ष या किसी अधिकारी निर्देश करता है, लेकिन उनका संख्या 12 से कम नहीं रहना चाहिए यदि अंशदाता द्वारा अन्यथा नहीं चुना जाय तथा 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विशेष मामलों में जहां मांगी गई पेशगी की राशि विनियम-14 के उप विनियम (3) के अंतर्गत अंशदाता के तीन महीनों के वेतन से अधिक है तो, पेशगी मंजूरीदाता प्राधिकारी 24 से अधिक लेकिन 36 या उससे कम संख्या की किस्तों को नियत कर सकता है। एक अंशदाता अपने विकल्प से एक महीने में एक किश्त से अधिक किस्से चुका सकता है। हर एक किस्त पूरे रुपयों में होनी चाहिए, ऐसी किस्तों को नियत करने के लिए पेशगी की राशि को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

(2) अंशदाता की उगाही के लिए, विनियम-11 में निर्धारित ढंग पर वसूली की जायेगी तथा पेशगी लिये जाने वाले महीने के अगले महीने के वेतन से प्रारम्भ होगी। अंशदाता द्वारा निर्वाह अनुदान को प्राप्त करते समय या जब वह कलेंडर महीने के 10 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए छुट्टी पर रहता है और उसके समय के लिए उसे किसी प्रकार की छुट्टी वेतन प्राप्त नहीं होता या आधा वेतन के समान या कम मात्रा में छुट्टी का वेतन प्राप्त होता है, उस अवधि की वसूली अंशदाता की बिना सहमति के नहीं की जायेगी। जो भी लागू हो, एक अंशदाता को स्वीकृत वेतन की पेशगी की वसूली के दौरान अंशदाता के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष द्वारा वसूली को मुल्तवी किया जा सकता है।

(3) यदि अंशदाता को एक से ज्यादा अग्रिम मंजूर किया गया है और उसके द्वारा लिया गया, बाद में यानि पुनर्भुगतान समाप्त होने से पहले अग्रिम देने को अस्वीकार किया गया, तो इस प्रकार लिए गये पूर्ण या शेष रकम विनियम-12 में बताये गये ब्याज की दर की साथ अंशदाता द्वारा निधि में जमा करना होगा ऐसा नहीं करने से

लेखा अधिकारी के आदेश पर अंशदाता के एमोल्युमेंट्स में एक मुश्त राशि में घटा कर या अधिकतम 12 महीनेवार किश्तों में—अध्यक्ष या अग्रिम मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी के निदेशों के अनुसार वसूल किया जायगा। और इस प्रकार करने में विनियम-14 के उप विनियम-(3) के अंतर्गत विशेष कारण होना चाहिए।

बशर्ते कि इस प्रकार अग्रिम अस्वीकार करने से पहले मंजूरी प्राधिकारी को लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए अंशदाता को एक मौका दिया जाए कि पुर्नभुगतान करने के लिए उसे क्यों मजबूर नहीं किया जाए। यह स्पष्टीकरण सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर देना चाहिए, यदि अंशदाता का स्पष्टीकरण उक्त बताये गये 15 दिनों की अवधि में प्रस्तुत किया जाता तो इस पर निर्णय लेने के लिए मंजूरी प्राधिकारी के पास भेजा जाता है। यदि उसके द्वारा (अंशदाता) उक्त अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब इस उप-विनियम में निर्धारित पद्धति द्वारा अग्रिम का पुर्नभुगतान (दबाकर) करवाया जायगा।

(4) इस विनियम के अंतर्गत की गयी वसूली निधि में अंशदाता के खाते में जमा की जायेगी।

16. पेशगी का अधर्म उपयोग: इन विनियमों में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यदि मंजूरी प्राधिकारी के पास शक करने का कुछ कारण होता कि विनियम-14 के अंतर्गत अग्रिम नहीं करने पर, या अंशदाता के छुट्टी पर होने पर भी, उसकी परिलब्धियों से एक मुश्त राशि में घटा कर वसूल करने का आदेश देगा। जो भी हो, पुर्नभुगतान करने वाली कुल रकम अंशदाता की परिलब्धियों के आधा से ज्यादा हो तो पूरे रकम को चुकाने तक मासिक किस्तों में या उसकी परिलब्धियों के अर्धसूत्र में की जानी पड़ेगी।

नोट: इस विनियम में परिलब्धियों में निर्वाह अनुदान शामिल नहीं है।

17. निधि से निकासी: (1) यहां पर विनिर्देशित शर्तों के अधीन किसी भी समय पर विनियम (14) के उप-विनियम (3) के अधीन दिये गये विशेष कारणों से पेशगी की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही निकासी मंजूर की जा सकती है।

(क) अंशदाता द्वारा बीस साल की सेवा पूरी किए जाने पर (सेवा भंग अवधियों सहित, यदि कोई हो तो) या निवर्तन पर सेवा निवृत्त होने की तारीख के पहले 10 वर्षों में, जो भी पहले हो, निधि में उसकी जमा में निहित राशि से निम्नकारणों के लिए निकासी की जा सकती है।

(क) अंशदाता या अंशदाता के किसी बच्चे के यात्रा भत्ते सहित, निम्न मामलों से संबंधित उच्च शिक्षा के व्यय को पूरा करने के लिए, जो निम्न प्रकार है:—

(1) हाई स्कूल से ऊपरी स्तर के शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या पेशा पाठ्यक्रम के संबंध में भारत के बाहर शिक्षा के लिए जाने और

(2) दूसरी अनुसूची में सूचित हाई स्कूल से ऊपरी स्तर के किसी भी चिकित्सा, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए भारत में,

(ख) अंशदाता के या उसके बेटों या बेटियों तथा वास्तव में उस पर आश्रित किसी स्त्री रिश्तेदारों से संबंधित वागदान, शादी के व्यय को चुकाने के लिए;

(ग) अंशदाता तथा उसके परिवार के सदस्यों या उसके, ऊपर वास्तविक रूप में आश्रित किसी भी व्यक्ति के अस्वस्थता से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए, जहां भी आवश्यक पड़ता है, यात्रा भत्ताओं को भी शामिल किया जाता है।

(ख) अंशदाता की सेवा के दौरान निधि में अपनी जमा में निहित राशि में से निम्न एक या अधिक कारणों से जो इस प्रकार है:

(क) अपने निवास के लिए एक उपर्युक्त मकान का निर्माण या तैयार मकान खरीदने के लिए, जिस में भूमि का व्यय या जमीन या फ्लैट की आबंटन हेतु हुडा या स्टेट हाउसिंग बोर्ड या हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को चुकाने वाली कोई भी रकम शामिल है।

(ख) अपने निवास के लिए निर्माण किए गए उपयुक्त मकान या तैयार मकान को प्राप्त करने में हुई ऋण की बकाया राशि को चुकाने के लिए।

(ग) अपने निवास के लिए, मकान के निर्माण के लिए खरीदे भूखंड की या ऐसे प्रयोजनों के कारण प्रत्यक्ष रूप में लिये गये ऋणों की बकाया राशि को चुकाने के लिए।

(घ) अंशदाता द्वारा पहले ही स्वामित्व में लिए गये या प्राप्त किये गये मकान या फ्लैट के पुन निर्माण या बढ़ाने या परिवर्तनों के लिए।

(ङ) काम करने वाले स्थान के अलावा दूसरे स्थान पर पैतृक गृह को, या मंडल की ऋण की सहायता से काम करने वाले जगह के अलावा दूसरे स्थान पर निर्मित गृह को नया करने, बढ़ाने तथा परिवर्तन या मरम्मत करने के लिए।

(ज) धारा (ग) के अधीन खरीद किये गए भूमि पर गृह का निर्माण करने।

(ग) अंशदाता के निवर्तन पर सेवा निवृत्त हो जाने के 12 महीनों के पहले निधि में रकम किसी उद्देश्य से जोड़े बगैर निहित रकम में से।

नोट :– एक अंशदाता जिन्होंने निर्माण कार्य एवं आवास मंत्रालय की योजना में गृह निर्माण के लिए पेशगी प्राप्त की हो, या जिस को किसी भी सरकारी स्रोत से इस संबंध में सहायता मिली हो, उसे धारा (ख) की उप धारा (अ), (ई), और (ज) के अधीन वह विनिर्दिशित तथा पूर्वोक्त योजना से लिये गये ऋण को चुकाने के लिए विनियम (18) के उपविनियम (1) के परंतुक में निर्दिशित सीमा के अधीन अंतिम निकासी की मंजूरी दी जा सकती है।

यदि एक अंशदाता के पैतृक गृह है या वह अपने कार्य स्थल को छोड़ कर दूसरी जगह पर मंडल की सहायता प्राप्त करके गृह का निर्माण करता है तो धारा (ख) की उप धारा (अ) तथा (ऊ) के अधीन के लिए भूखंड या दूसरे गृह के निर्माण के लिए या अपने ड्यूटी स्थान पर निर्मित फ्लैट को प्राप्त करने के लिए अंतिम निकासी के लिए पात्र होगा।

नोट :–(2) धारा (ख) की उपधारा (अ), (ई) (उ) या (ऊ) के अधीन निकासी की मंजूरी तभी दी जाती है जब अंशदाता अपने निर्माण किये जाने वाले गृह की योजना या जहां वह भूखंड या गृह स्थित है, उस क्षेत्र के स्थानीय नगर पालिका निकाय द्वारा यथा अनुमोदित विस्तार तथा परिवर्तन जिन्हें वह करना चाहता है प्रस्तुत करता है और सिर्फ ऐसे मामलों में जहां योजना को वास्तव में अनुमोदित किया गया हो।

नोट :–(3) धारा (आ) की उप धारा (ख) के अधीन मंजूर की गई निकासियों की राशि उप धारा (आ) के अधीन की गयी पिछली निकासी की राशि निकासी सहित आवेदन पत्र की तारीख पर स्थित शेष राशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी। अनुसरण किये जाने वाला सूत्र यह है कि उस दिन तक मौजूद शेष राशि का 3/4 वां भाग संदर्भित गृह के संबंध में की गई पिछली निकासियों—पिछली निकासियों की राशि।

नोट :–(4) जब गृह के लिए भूखंड गृह पत्नी या पति के नाम पर रहता है तब धारा (ख) की उपधाराओं (आ) या (ई) के अधीन निकासी की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि वह अंशदाता के नामन पत्र में भविष्य निधि से धन प्राप्त करने के लिए पहला/पहली मनोनीत होना/होनी चाहिए।

नोट :– (5) इस विनियम के अधीन एक लक्ष्य के लिए सिर्फ एक ही निकासी की अनुमति दी जाती है। लेकिन भिन्न बच्चों की शादी शिक्षा या विभिन्न अवसरों पर अस्वस्थता या जिस क्षेत्र में गृह का भूखंड या गृह स्थित है उस क्षेत्र की स्थानीय नगर पालिका निकाय द्वारा यथा अनुमोदित नई योजना के तहत गृह या फ्लैट के विस्तार या परिवर्तन आदि को एक ही लक्ष्य के रूप में नहीं समझा जायगा। नोट (3) के अधीन दी गयी सीमा के अधीन एक ही गृह को पूरा करने के लिए धारा (ख) की उपधारा (अ) या (ऊ) के अधीन दूसरी बार या बाद की निकासी की अनुमति दी जाती है।

नोट :–(6) विनियम (14) के अधीन उसी लक्ष्य के लिए तथा उसी समय पर पेशगी की मंजूरी किए जाने पर इस विनियम के अधीन निकासी की मंजूरी नहीं की जायेगी।

(2) जब अंशदाता, सामान्य, भविष्य निधि लेखे की नवीनतम सारणी और तदनुसार अंशदान के साक्ष्य के साथ, अपने सामान्य भविष्य निधि जमा के बारे में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करने की स्थिति में रहता है, तब सक्षम प्राधिकारी ही निर्धारित सीमाओं के अंदर निकासी की मंजूरी दे सकता है, जैसा कि वापसी योग्य अग्रिम के मामले में करता है। ऐसा करते समय सक्षम प्राधिकारी को अंशदाता को मंजूर निकासी या वापसी अग्रिम ध्यान में रखनी होगी। जो भी हो, यदि अंशदाता अपने खाते में जमा रकम के बारे में या आवेदित निकासी की स्वीकार्यता के बारे में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाता तो, निकासी की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेने हेतु ,अंशदाता की जमा राशि की पुष्टि के लिए सक्षम प्राधिकारी, लेखा अधिकारी से बात कर सकता है। निकासी के लिए मंजूरी में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या एवं लेखा अनुरक्षण करने वाले लेखा अधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए या मंजूरी की एक प्रति लेखा अधिकारी को निरपवाद रूप से भेजनी (पृष्ठांकन करना) होगी। यह सुनिश्चित करने की—यानि लेखा अधिकारी से पावती लेने की —जिम्मेदारी मंजूरी प्राधिकारी की है। कि निकासी की स्वीकृति ,अंशदाता के लेजर खाते में नोट कर लिया गया है। यदि लेखा अधिकारी रिपोर्ट करता है कि स्वीकृत निकासी (रकम) अंशदाता की जमा राशि से ज्यादा है या अन्यथा अस्वीकार्य है, तब अंशदाता द्वारा निकाली गई रकम एक मुश्त राशि में अंशदाता द्वारा निधि में जमा की जायेगी और वापस चुकाने में असफल होने की स्थिति में मंजूरी प्राधिकारी के आदेश पर अंशदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त राशि में या मंजूरी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक किस्तों में वसूली की जायेगी।

(3) विनियम-23 के उपविनियम (3) के खंड (2) के अंतर्गत अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र लेखा अधिकारी के पास भेजने के मामले में निकासी मंजूर होने के बाद लेखा अधिकारी अनुमोदन से रकम निकाली जा सकती है।

18. निकासी की शर्तें : (1) एक अंशदाता द्वारा किसी भी एक समय पर विनियम 17 में विनिर्दिशित एक या अधिक लक्ष्यों के लिए निधि के अपने खाते की जमा में निहित

राशि में से निकाली गई कोई भी राशि साधारणत या उस राशि के आधा भाग या छः महीनों के वेतन मे जो भी कम हो, अधिक नहीं रहेगी । फिर भी मंजूरी दाता प्राधिकारी निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान देते हुए इस सीमा से अधिक राशि की पेशगी (अंशदाता के) निधि के खाते में निहित शेष के 3/4वें भाग तक मंजूर की जा सकती है :–

(i) वह लक्ष्य जिस के लिए निधि से निकासी की जा रही है।

बशर्ते कि किसी भी मामले में विनियम 17 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए निकाली गई अधिकतम रकम, गृह निर्माण के लिए अग्रिम अदायगी – गृह निर्माण अग्रिम नियम के अन्तर्गत, समय-समय पर दी जाने वाली अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

आगे बशर्ते कि विनियम 17 (i) (ग) के अन्तर्गत स्वीकार्य आहरण निधि में अंशदाता की जमा राशि के 90% से अधिक नहीं होना चाहिए ।

आगे बशर्ते कि यदि अंशदाता ने गृह निर्माण हेतु अग्रिम की मंजूरी के लिए इन नियमों के अन्तर्गत अग्रिम का उपयोग किया है या किसी अन्य सरकारी स्रोतो से इसके लिए कुछ सहायता लिया है, तो उक्त बतायी गयी योजनाओं के अन्तर्गत लिए गये अग्रिम के साथ इस खंड के अन्तर्गत आहरित रकम या कोई अन्य सरकारी स्रोतो से ली गई सहायता, उक्त नियमों के तहत समय समय पर दी जाने वाली अधिकतम राशि (सीमा) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

नोट :– (1) : विनियम 17 के उप विनियम (1) के खंड (क) के उप खंड (क) के अन्तर्गत अंशदाता को मंजूर की गई निकासी किस्तों में ली जाए और किस्तों की संख्या मंजूरी देने की तिथि से 12 कैलेंडर महीनों में "4" से अधिक नहीं होना चाहिए ।

नोट :– (2) : विनियम 17 के उप विनियम (1) की धारा (क) की उपधारा (क) के अधीन एक अंशदाता को हर छः महीनों में एक बार निकासी करने के लिए अनुमति दी जाती है, विनियम 18 के उप विनियम (1) के लक्ष्यों के लिए ऐसे निकाली गई हर आहरण को पृथक प्रयोजन के रूप में समझा जाएगा ।

नोट :– (3) : ऐसे मामलों में जहां अंशदाता को शहरी नगर योजना समिति व राज्य गृह निर्माण बोर्ड या कोई गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से एक भूखंड या एक गृह या एक फ्लैट खरीदने के लिए या निर्मित किए गए गृह या फ्लैट के लिए किस्तो मे भुगतान करना हो तब भुगतान देने के समय उसे आहरण की अनुमति दी जाएगी । ऐसे हर एक भुगतान को विनियम 18 के उप विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए पृथक प्रयोजनों के लिए भुगतान के रूप में समझा जाएगा ।

(2) विनियम 17 के अधीन निधि से रकम निकालने के लिए जिस अंशदाता को अनुमति दी गई हो उसे मंजूरी प्राधिकारी द्वारा विनिर्देशित यथोचित अवधि में उस प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि निकाली गई राशि, जिस उद्देश्य के लिए निकाली गई है उसी उद्देश्य के लिए उपयोग की गयी है, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो निकाली गई कुल राशि को, उसमें जितना भाग उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया है, जिसके लिए उस राशि को निकाला गया है, तुरन्त एक ही राशि में अंशदाता द्वारा निधि में चुकाना चाहिए, तथा भुगतान न करने पर मंजूरी दाता प्राधिकारी द्वारा (एक ही राशि में या मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मासिक किस्तों में उसकी परिलब्धियों से वसूली करने का आदेश दिया जाता है ।

(3) (क) एक अंशदाता जिसे विनियम 17 के उप-विनियम (1) की धारा (ख) की उप धारा (क), उप धारा (ख) या उप धारा (ग) के अधीन निधि में अपने खाते में निहित राशि से धन निकालने की अनुमति दी जाती है, मंजूरी प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे निकाली गई रकम से (मंजूरीदाता प्राधिकारी को गिरवी के अलावा) उपहार या विनियम द्वारा निर्माण किया गया या प्राप्त किया गया मकान या खरीदी गई भूखंड पर अपना अधिकार का त्याग नहीं करना है। उसे उस गृह को या भूखंड को मंजूरी प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए विनियम द्वारा या पट्टे पर उस गृह या भूखंड पर अधिकार न खोना चाहिए।

(ख) अंशदाता को हर वर्ष के 31 दिसम्बर के पहले एक लिखित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है कि वह मकान या भूखंड उसके अधिकार में रहा है और यदि आवश्यक हो तो मंजूरी प्राधिकारी के सम्मुख प्राधिकरण में विनिर्देशित तारीख के अन्दर मूल बिक्री पत्र तथा अन्य दस्तावेज, जिन पर संपत्ति के प्रति उसके शीर्षक आधारित है, प्रस्तुत करना होगा।

(ग) सेवानिवृत्त होने के पहले, किसी भी समय पर मंजूरी प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना यदि अंशदाता उस गृह या भूखंड पर अधिकार खो देता है, तो उसके द्वारा निकाली गई राशि को तुरन्त एकमुश्त राशि के रूप निधि में चुकाना होगा, तथा भुगतान न किये जाने पर मंजूरदाता प्राधिकारी द्वारा अंशदाता को इस मामले में अपने कारण बताने के लिए उचित मौका देने के बाद उसकी परिलब्धियों से एक ही राशि मे या बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित मासिक किस्तों में वसूल करने का आदेश दिया जाता है ।

नोट :—मंडल से ऋण लेने वाले अंशदाता को इसके बदले में मंडल को घर या भूखंड गिरवी रखकर निम्नानुसार घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिये अर्थात्

"मैं प्रमाणित करता हूं कि घर या घर के लिए भूखंड जिस का निर्माण हेतु या जिस को

प्राप्ति के लिये भविष्य निधि से अंतिम निकासी (रकम) की गयी थी, वो अभी भी मेरे अधीन है लेकिन मंडल के अधीन गिरवी रखा गया है"

19 पेशगी का आहरण के रूप में परिवर्तन :— अंशदाता जो विनियम 17 के उप विनियम (1) में विनिर्देशित किसी भी उद्देश्य के लिए विनियम 14 के अधीन पेशगी लेता या जिसने पेशगी लिया है, अपने स्वनिर्णय पर, मंजूरी प्राधिकारी द्वारा लेखा अधिकारी के पते पर एक लिखित अनुरोध भेज कर और उसके द्वारा विनियम 17 और 13 की शर्तों को संतुष्ट करने के बाद अपने जमा में रहने वाली शेष राशि को अंतिम वापसी के रूप में परिवर्तित कर सकता है।

बशर्ते कि इस उप विनियम के अंतर्गत आहरण का पूर्ण भुगतान शुरू करने से पहले अंशदाता को लिखित विवरण देने के लिए एक मौका दिया जाए यानि इस प्रकार की सूचना मिलने के 15 दिनों के अंदर लिखित रूप में यह स्पष्ट करने का मौका दिया जाए कि पूर्ण-भुगतान शुरू क्यों न किया जाए। यदि मंजूरी प्राधिकारी उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता या निर्धारित 15 दिनों के अंदर अंशदाता की ओर से कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता तो इस उप विनियम में बताये गये अनुसार मंजूरी प्राधिकारी पूर्णभुगतान लागू करेगा।

नोट–1 : जब ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा लेखा अधिकारी को भेजा जाता है, तब वेतन बिलों से वसूली बंद करने के लिए श्रेणी-3 और 4 कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष और श्रेणी–1 और 2 अंशदाताओं के मामले में, संबंधित लेखा अधिकारी को प्रशासनिक प्राधिकारी अनुदेश दे सकता है। श्रेणी–1 और 2 अंशदाताओं के मामले में आगे की वसूली को रोकने हेतु प्रशासनिक प्राधिकारी अंशदाता की सूचना अग्रेषित करने वाले पत्र को उस लेखा अधिकारी को पृष्ठांकित करेगा जहां से वह वेतन लेता है।

नोट–2 : विनियम 18 के उप विनियम (1) के लिए, परिवर्तन के समय, अंशदाता के खाते में जमा पर ब्याज सहित अंशदान रकम और अग्रिम की बकाया रकम को शेष के रूप में लिया जाएगा। प्रति आहरण को भिन्न माना जाएगा और यही नियम एक से अधिक परिवर्तनों के लिए लागू होगा।

20. निधि में संचित राशि का अंतिम आहरण :— जब एक अंशदाता सेवा-छोड़ता है तो उसे निधि के उसके खाते जमा में रहने वाली रकम का भुगतान किया जाना चाहिये।

बशर्ते कि एक अंश दाता, जिसे सेवा से निकाला जाता है और बाद में फिर से नियुक्त किया जाता है, इस विनियम के अनुसार निधि से उसे भुगतान की गई कोई भी रकम विनियम 21 के परंतुक में दिये ढंग पर विनियम 12 में बताए गए दर पर ब्याज सहित उसे निधि को चुकानी पड़ती है, ऐसी चुकायी गयी रकम निधि के उसके अपने खाने में फिर जमा की जायेगी।

स्पष्टीकरण (1) :—ठेके पर नियुक्त या सेवा निवृत्त व्यक्ति के अलावा कोई अंशदाता बाद में सेवा भंग सहित या सेवा भंग के बिना पुर्ननियुक्त होता है, जब वह कोई प्रमुख पत्तन अधिकारी के अधीन (जिस में वह दूसरे भविष्य निधि के नियमों द्वारा प्रभावित किया जाता है) कोई नये पद पर किसी भी प्रकार के सेवा भंग के बिना तथा अपने पहले के पद पर किसी भी प्रकार का संबंधन रखते हुए बदली किया जाता है उसे सेवा से छोड़ दिया नहीं समझा जाता है। ऐसे मामले में उसके अंशदानों को ब्याज सहित अन्य निधि के अपने खाते में उस निधि के नियमों के अनुसार बदली किया जायेगा। उपर्युक्त कार्य विधि प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा संभावित छटनी के मामलों में भी लागू होगा चाहे वह बोर्ड के अधीन हो या कोई प्रमुख पत्तन प्राधिकारी के अधीन हो।

नोट :—स्थानांतरण में—सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमति के साथ और सेवा में बिना कोई ब्रेक, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी दूसरे विभाग में नियुक्ति लेने के लिए, सेवा से त्याग पत्र देने के मामले भी शामिल है। सेवा में रोध (ब्रेक) होने के मामले में, दूसरे स्थान को स्थानांतरण होने पर दिए जाने वाले ज्वाइनिंग समय तक ही सीमित किया जाएगा।

यही नियम छंटनी करके तुरंत मंडल या अन्य किसी महापत्तन प्राधिकार के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में लागू होगा।

स्पष्टीकरण (2) : जब एक अंशदाता (ठेके पर नियुक्त व सेवा निवृत्त होकर बाद में पुनः नियुक्त व्यक्ति के अलावा) किसी भी सेवा भंग के बिना सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन रहने वाले किसी नियम निकाय की सेवा में बदली किया जाता है, तब अंशदानों की राशि को ब्याज सहित उसे भुगतान नहीं किया जाता बल्कि निकाय की सहमति लेकर उस निकाय के अधीन रहने वाली निधि के उसके खाते में बदली की जायगी।

स्थानांतरणों में—सक्षम प्राधिकारी की उचित अनुमति के साथ और सेवा में बिना कोई ब्रेक सरकारी या सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय या निगम में नियुक्ति लेने के लिए सेवा से त्याग पत्र देने के मामले भी शामिल है। नये पद में कार्य-ग्रहण करने के लिए लगने वाले समय को तब तक सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं माना जायगा जब तक यह एक कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद में स्थानांतरण के लिए दिये जाने वाले कार्यग्रहण समय से अधिक नहीं हो।

बशर्ते कि यदि अंशदाता ने पब्लिक एन्टरप्राइसेस में सेवा करने का विकल्प चुना हो तो, उसकी ब्याज सहित अंशदान रकम अपनी इच्छा पर, एंटरप्राइसेस के तहत गए भविष्य निधि खाते में—यदि संबंधित एंटरप्राइसेस भी सहमत हो—

स्थानांतरित किया जाएगा। जो भी हो अंशदाता द्वारा रकम स्थानांतरित करने की इच्छा न होने पर अथवा संबंधित एंटर-प्राइसेज में भविष्य निधि का व्यवस्था नहीं होने पर उक्त रकम अंशदाता को वापस की जाएगी।

21. अंशदाता की सेवा निवृत्ति :—यदि अंशदाता के छुट्टी पर होने के समय सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जाती है या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जाता है तो निधि में उसकी जमा की रकम, लेखा अधिकारी को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर उसे दे दी जायेगी।

बशर्ते कि अंशदाता जब ड्यूटी पर लौट आता है जहां बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्णय न लेने पर इस विनियम के अनुसार निधि से उसे भुगतान की गई राशि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार विनियम–12 में निर्धारित दर पर ब्याज सहित नकद या प्रतिभूतियों में, किस्तों में या अन्यथा, अपनी परिलब्धियों से वसूली द्वारा या अन्यथा निधि के अपने खाते में जमा कर लौटाना होगा और इसके लिए विनियम–14 के उप विनियम (3) के अंतर्गत विशेष कारणों की जरूरत है।

22. अंशदाता की मृत्यु पर कार्यवाही :—अपनी जमा में रहने वाली राशि देय योग्य होने के पहले या जहां राशि देय योग्य होने पर भी भुगतान किये जाने के पहले अंशदाता के मर जाने पर;

(i) जब अंशदाता परिवार को छोड़ देता है।

(अ) यदि अंशदाता द्वारा विनियम 6 के उपबंधों के अनुसार अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के नाम पर नामांकन दिया जाता है, निधि के अपने खाते में जमा राशि या उसके भाग को नामांकन में उल्लिखित अनुपात में मनोनीत या मनोनीतों को भुगतान योग्य हो जाता है।

(आ) यदि अंशदाता के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के नाम पर ऐसा नामांकन नहीं रहता या यदि ऐसा नामांकन निधि में अपनी जमा में रहने वाली राशि के एक अंश से संबंध रखता है, उस नामांकन से संबंध न रखने वाली पूरी राशि या उसके एक अंश के संबंध में, जैसी स्थिति हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी भी व्यक्ति के या व्यक्तियों के पक्ष के अभिप्राय से किसी नामांकन के होते हुए भी उसके परिवार के सदस्यों को समान हिस्सों में देय योग्य होगा।

बशर्ते कि किसी भी हिस्से को निम्न व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया जायेगा।

(1) बालिगी प्राप्त बेटे।

(2) मरे हुए बेटे —बेटे जिन्हें बालिगी प्राप्त हैं।

(3) विवाहित बेटियों जिनके पति जीवित हैं।

(4) मर गये बेटे की विवाहित बेटियां जिनके पति जीवित हैं।

यदि धारा (1), (2), (3), (4) में उल्लिखित के अलावा परिवार के अन्य कोई सदस्य हो तो:

आगे बशर्ते कि मर गये बेटे की विधवा स्त्रियों तथा शिशु या शिशुओं को उस हिस्से का भाग समान भागों में प्राप्त होगा जिस हिस्से के लिये उस मरे हुए बेटे को अंशदाता के साथ बना रहने पर प्राप्त होगा तथा पहले परन्तुक के धारा (1) के उपबन्धों से विमुक्त किया गया होगा।

(ii) जब किसी अंशदाता का परिवार नहीं होता तो उसके द्वारा विनियम-6 के उपबन्धों के अनुसार नामांकन दिया जाता है निधि में अपने जमा में बाकी राशि या उसके भाग के नामांकन में उल्लिखित अनुपात में एक मनोनीत या बहुत से मनोनीत भुगतान योग्य हो जाते हैं।

23. निधि में रहने वाली राशियों के भुगतान की रीति :—

(1) जब निधि में अंशदाता की जमा में रहने वाली राशि भुगतान योग्य हो जाता है, इसके संबंध में उप-विनियम (3) में यथा व्यवस्थित लिखित आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर भुगतान कर देना लेखा अधिकारी की ड्यूटी है।

(2) इन विनियमों के अधीन जिस व्यक्ति को किसी राशि या पालिसी का भुगतान किया जाना है, हस्तांतरण किया जाना है, पुनः हस्तांतरित किया जाना है वही देना है, यदि वह पागल है जिसकी संपदा के लिये भारतीय पागल अधिनियम, 1912, के अधीन एक प्रबंधक की नियुक्ति की गई है, उस भुगतान या पुनः हस्तांतरण या सुपर्दगी उस प्रबंधक को करना है, न कि उस पागल को।

बशर्ते कि जहां कोई प्रबंधक की नियुक्ति नही की गई है तथा उस व्यक्ति जिसे उस राशि को भुगतान की गई है मजिस्ट्रेट द्वारा पागल के रूप में प्रमाणित किया गया है, समायुक्त के आदेशों के अधीन भारतीय पागल अधिनियम 1912 के अनुभाग 95 के उप अनुभाग (1) के शर्तों पर भुगतान ऐसे पागल के कार्य भार प्राप्त व्यक्ति को देना है तथा लेखा अधिकारी उस व्यक्ति को सिर्फ वही राशि अदा करता है जिसके लिये वह उपयुक्त समझता है तथा यदि कोई अधिशेष हो तो उसके या उसके ऐसे भाग को उस पागल के परिवार के ऐसे सदस्यों को जो अपने निर्वाह के लिये उसके ऊपर आश्रित है जैसा वह उपर्युक्त समझता है।

(3) निकाली गई राशियों का भारत में ही भुगतान करना चाहिये। ऐसे व्यक्ति जिन्हें राशियां देय योग्य है भारत में भुगतानों को प्राप्त करने के लिये अपने आप प्रबंध करना चाहिये। रकम की दावे के लिये अंशदाता को निम्नांकित पद्धति अपनाना होगा जैसा कि :

(1) अंशदाता को निधि से आहरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये अंशदाता की यात्रा निवर्तन की तिथि से एक वर्ष पहले या अंशदाता द्वारा प्रत्याशित सेवानिवृत्ति तिथि—यदि पहले हो तो—से पहले विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति अंशदाता को आवश्यक कागजात (फार्मेस)—अंशदाता द्वारा प्राप्त करने की तिथि से एक महीने के अंदर फार्म भर के वापस भेजने के अनुदेशों के साथ—भेजना होगा। निधि में अपनी जमा राशि के भुगतान के लिये अंशदाता को विभागाध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। निम्नांकित के लिये आवेदन किया जायेगा।

(क) उसकी निवर्तन की तिथि से या उसके द्वारा प्रत्याशित सेवा निवृत्ति या सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पहले अंत होने वाले वर्ष की लेखा सारणी में दिखाए गये अनुसार निधि में जमा अपनी रकम को,

(ख) अंशदाता द्वारा लेखा विवरणी प्राप्त न होने पर उसकी लेजर लेखा में बताये गयी रकम के लिये।

(2) पेशगी के विरुद्ध की गई अभी भी वसूल की जा रही वसूलियों की संख्या और अंशदाता के लेखे के अंतिम विवरण लेखा अधिकारी द्वारा भेजने के बाद किये गये आहरण—यदि कुछ हो तो—बताते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी को एक आवेदन भेजा जायेगा।

(3) लेखा अधिकारी लेजर खाते से सत्यापन करने के बाद आवेदन पत्र में सूचित राशि के लिये निवर्तन के कम से कम एक महीने पहले लेकिन निवर्तन तारीख को देय एक प्राधिकरण जारी करेगा।

(4) खंड (3) में उल्लिखित प्राधिकारी वेतन की पहली किश्त का गठन करेगा। निवर्तन के बाद यथा-संभव शीघ्र ही भुगतान के लिये दूसरा अनुमोदन जारी किया जायेगा। यह अंशदाता द्वारा धारा (1) के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन में उल्लिखित राशि के साथ-साथ अंशदाता द्वारा किये गये अंशदान तथा पहले दिये गये आवेदन के समय चालू अग्रिम की किश्तों में वापिसी भी शामिल है। साथ ही अग्रिम के लिये वापस की गई किश्त के बारे में है जो पहले आवेदन के समय में चालू था।

(5) लेखा अधिकारी को अंतिम भुगतान के लिये आवेदन भेजने के बाद, अग्रिम/निकासी मंजूर किया जा सकता है परन्तु तत्संबंधी मंजूरीदाता प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने वाले तत्संबंधी लेखा अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने पर अग्रिम/निकासी की रकम निकाली जायेगी।

टिप्पणी :—अंशदाता के खाते में निहित रकम विनियम-20, 21 अथवा 22 के तहत देय योग्य होने पर उप-विनियम (3) में यथा सूचित तरीके से लेखा अधिकारी उस रकम का शीघ्र भुगतान करने का अनुमोदन देगा।

24. किसी कर्मचारी को एक महापत्तन से दूसरे में बदली करने पर कार्यविधि :

(क) निधि के अंशदाता कर्मचारी का स्थायी रूप से किसी अन्य प्रमुख पत्तन में तबादला होने पर उसे तबादला करने की तारीख को उसकी साख में जमा अंशदान की रकम ब्याज सहित उस प्रमुख पत्तन में उसकी निधि के सीख में बदली कर दी जायेगी यदि वह प्रमुख पत्तन भी इसी प्रकार के विनियमों से प्रशासित किया जाता है

बशर्ते कि इस प्रकार के नियमों की आवश्यकता पड़ने पर प्रमुख पत्तन प्राधिकारी से सहमति प्राप्त की जाये।

(ख) किसी कर्मचारी के राज्य रेलवे भविष्य निधि अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य अंशदायी भविष्य निधि अथवा राज्य अंशदायी भविष्य निधि का अंशदाता होने पर महापत्तन के विभाग में पेंशन योग्य सेवा में स्थायी रूप से तबादला कर दिया जायेगा जिसमें उसे इन विनियमों से शासित किया जायेगा और अंशदाता को इस प्रकार के नियमों से तब तक निरंतर शामिल नहीं रखा जा सकता जब तक वह इसका विकल्प नहीं देता। ऐसा विकल्प दिये जाने पर

(1) उक्त प्रकार के अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारी को तबादला करने की तारीख से उसके जमा में निहित अंशदान रकम और उस पर ब्याज को संबंधित प्राधिकार की सहमति से उस कर्मचारी की निधि की जमा में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(2) उक्त प्रकार के अंशदायी भविष्य निधि में उस कर्मचारी की साख में जमा अंशदान की रकम और उस पर ब्याज को संबंधित भविष्य निधि की सहमति से उस निधि की साख में जमा कर दिया जायेगा।

(3) स्थायी तबादलों की तारीख से पूर्व की गयी सेवा को अनुमेय सीमा तक संबंधित पेंशन नियम के तहत उसे ऐसा होने पर ही पेंशन के लिये गिना जायेगा।

टिप्पणी :—1. सेवा निवृत्त हुए अंशदाता और सेवा में किसी रुकावट से या बगैर किसी रुकावट से फिर से नियुक्त होने वाले, ठेके पर पूर्व नियुक्ति को बनाये रखने वाले, अंशदाता को इन विनियमों के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी :—2. जो भी हो इन विनियमों के प्रावधान ऐसे व्यक्तियों पर लागू होंगे जो बिना सेवा रोध के स्थायी या अस्थायी रूप से किसी ऐसे पद पर हैं नियुक्त हों जहां इन विनियमों का लाभ हो। सेवानिवृत्ति के बाद अथवा किसी अन्य महापत्तन के अधीन सेवा से छंटनी होने पर भी हो।

25. सरकार द्वारा शासित या नियंत्रित निकाय निगम के तहत सेवारत व्यक्ति का तबादला मंडल सेवा में होने पर कार्यविधि :—

जब कोई कर्मचारी जो निधि के लाभों के लिये भर्ती कर लिया जाता है जो पहले सरकार द्वारा शासित या नियंत्रित किसी निकाय निगम का अंशदाता था, ऐसे व्यक्ति का अंशदान और कर्मचारी का योगदान उस पर ब्याज सहित निकाय की सहमति से निधि के साथ में बदली कर दिया जाता है।

26. रकम को अंशदायी भविष्य निधि में बदली करना (भारत)

निधि का मंडल के तहत जब निधि का कोई अंशदाता बाद में अंशदायी निधि के लाभों को पाने योग्य होने पर, निधि में उसकी रकम उस पर ब्याज सहित उसके अंशदायी भविष्य निधि (भारत) लेखा के जमा में बदली कर दिया जायगा।

टिप्पणी :—ठेका कर नियुक्ति पाने वाले अथवा सेवा से निवृत्त होकर तथा बाद में बिना रुकावट/रुकावट के साथ अंशदायी भविष्य निधि लाभ निहित पदवों पर पुनः नियुक्त होने वाले अंशदाता के लिये इन विनियमों का प्रावधान लागू नहीं होगा।

27. वैयक्तिक मामलों में उपबन्धों एवं विनियमों में छूट :—जब बोर्ड यह समाधान कर लेता है कि इन विनियमों का परिचालन अंशदाता को अनावश्यक कष्ट उत्पन्न करेगा या उत्पन्न होने की संभावना है, बोर्ड इन विनियमों में किसी बात के होते हुए, ऐसे अंशदाता के मामले को इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसा कि वह तुरन्त एवं उचित लगता हो।

28. अंशदानों के भुगतान के समय उद्धत की जाने वाली संख्या :—

परिलब्धियों से कटौती करके या नकद रूप में, भारत में अंशदान को भुगतान करते समय अंशदाता निधि में अपने खाते की संख्या उद्धृत करेंगा, जिसे वह लेखा अधिकारी से प्राप्त करता है। यदि संख्या में कोई परिवर्तन हो तो लेखा अधिकारी उसी प्रकार उसे अंशदाता को सूचित करेगा।

29. अंशदाता को सुपुर्द किये जाने वाले लेखाओं का वार्षिक विवरण :—(1) हर एक वर्ष की समाप्ति के बाद जहां तक हो सके लेखा अधिकारी हर एक अंशदाता को निधि में उसकी लेखाओं का एक विवरण भेज देगा जिसमें वर्ष के पहले अप्रैल के दिन पर रहे रोकड़ जमा (आदि शेष) वर्ष के दौरान जमा की गई, नामे डाली गई (बाकी) कुल राशि, वर्ष के 31 मार्च तक जमा को गई ब्याज को कुल राशि तथा उस तारीख पर रोकड़ बाकी (अंत शेष) दिखायेगा, लेखा अधिकारी लेखा विवरण के साथ एक पूछताछ संलग्न कर देगा कि यदि अंशदाता—

(अ) विनियम 6 के तहत बनाये गये नामांकनों में कहीं भी परिवर्तन करना चाहें तो।

(आ) ऐसे मामलों में जहां अंशदाता ने अपने परिवार के किसी सदस्य का नामांकन नहीं किया है, वहां विनियम–6 के अधीन क्या परिवार बना लिया है।

(2) अंशदाता को वार्षिक विवरण की तथ्यता के के बारे में संतुष्ट होना चाहिये। उसमें गलत आंकड़े होने पर उसे विवरण प्राप्त होने की तारीख से 3 महीनों के अन्दर उन्हें लेखा अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिये।

(3) लेखा अधिकारी को अंशदाता द्वारा अपेक्षित होने पर, वर्ष में एक बार उसे यह सूचित करना चाहिये कि निधि में उसके लेखा में उस वर्ष के आखिरी महीने के अंत तक कुल कितनी राशि मौजूद है।

30. इन विनियमों के पालन में केन्द्र सरकार के नियमों का अनुसरण किया जायगा।

इन विनियमों के पालन में और इन विनियमों से संबंध न रखने वाले मामलों के लिये सामान्य भविष्य निधि (केन्द्र सेवा) नियम, 1960 में निहित प्रावधानों इत्यादि और उनके तहत समय-समय पर जारी किये गये आदेशों, अनुदेशों, जिनका पालन अब तक किया जा रहा है वे इन विनियमों के प्रावधानों के असंगत नहीं हैं बशर्ते कि मंडल समय-समय पर इस प्रकार के अपवाद और संशोधन निर्धारित करें।

31. निरसन : विशाखापत्तनम पोर्ट कर्मचारी (सा. भा.नि.) विनियम 1964 इसके द्वारा निरसित (समाप्त) किया जा रहा है।

32. निर्वचन : इन विनियमों के निर्वचन संबंधी कोई प्रश्न उठने पर उसे मंडल को भेज दिया जायगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

[सं.पी.आर.-12012/19/93-पी ई आई]

ह. अपठनीय
वरिष्ठ विधि अधिकारी

फार्म—I

विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

पहली अनुसूची (विनियम 6)

नामांकन पत्र

लेखा सं.

मैं·························एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को जो मेरे परिवार का सदस्य है सदस्य नहीं हैं, विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1992 के विनियम 2(5) में दिये परिभाषा के अनुसार निधि में अपने खाते में जमा रकम को उस राशि के देय योग्य या देय योग्य होने या नहीं दिये जाने के पहले अपने मृत्यु की घटना के अवसर पर प्राप्त करने के लिए निम्नसूची के अनुसार नामित कर रहा हूं।

मनोनीत का नाम और पूरा पता	अंशदाता से उसका संबंध	मनोनीत की उम्र	हर मनोनीत को देय हिस्सा	आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाता है	अंशदाता के पूर्वाधिकार प्राप्त कर लेने की अवस्था में, व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, पता और नाता, यदि कोई हो, जिन्हें मनोनीत अधिकार प्राप्त होता है।	यदि मनोनीत विनियम 2 (5) के अनुसार परिवार का सदस्य नहीं हो तो आधार सूचित करें
1	2	3	4	5	6	7

तारीख··········दिन 19···········पर·····················

अंशदाता का हस्ताक्षर

नाम मोटे अक्षरों में

पदनाम·····················

हस्ताक्षर के लिए दो गवाही :

नाम और पता

1.

2.

हस्ताक्षर

प्रधान कार्यालय लेखा कार्यालय के उपयोग के लिए क्षेत्र नामांकन

श्री/श्रीमती/कुमारी ···पदनाम·············

नामांकन प्राप्ति की तारीख·····························

विभागाध्यक्ष/लेखा अधिकारी का हस्ताक्षर

·····························

पदनाम ·····················

दिनांक ·····················

अंशदाता के लिए शर्तें :

(क) आपका नाम भर दिया जाए ।

(ख) निधि का नाम उचित रूप में पूरा किया जाए ।

(ग) "परिवार" की परिभाषा जो विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1992 में दिया गया है नीचे उद्धत है:

"परिवार का अर्थ"

(i) पुरुष अंशदाता के मामले में पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, बच्चे, नाबालिक भाई, अविवाहित बहिनें, दिवंगत बेटे की विधवा, एवं बच्चे तथा जहां अंशदाता के माता और पिता जीवित नहीं होते वहां पिता के माता या पिता है।

बशर्ते कि अंशदाता यह प्रमाणित कर दे कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे अलग हो गई है या जिस समुदाय की वह है, उस समुदाय के प्रथा गत कानून के अनुसार संबंध समाप्त होने पर निर्वाह व्यय की हकदार है उसके बारे में ऐसा समझा जाए कि इसके बाद वह अंशदाता के परिवार की सदस्या उन मामलों में—जिनका संबंध इन विनियमों से है—तब तक नहीं है जब तक अंशदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसे निरन्तर सदस्या समझा जाये

(ii) स्त्री अंशदाता के मामले में पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिक भाई, अविवाहित बहिनें, दिवंगत पुत्र की विधवा और बच्चे और जहां अंशदाता के माता और पिता जीवित नहीं हैं, वहां पिता के माता या पिता है।

बशर्ते कि महिला अंशदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में नोटिस द्वारा यह सूचित करे कि उसके पति को उसके परिवार की सदस्यता से हटा दिया जाए, तो उसके बाद यह समझा जायेगा कि उसका पति इन विनियमों से संबंधित मामलों में अब परिवार का सदस्य नहीं रहा यह तब तक समझा जायेगा जब तक स्त्री अंशदाता लिखित रूप से ऐसे नोटिस को रद्द न कर दें।

टिप्पणी :—"शिशु" का अर्थ सन्तान बच्चा है और इसके अधीन गोद लिया बच्चा भी शामिल है जहां अंशदाता के वैयक्तिक कानून द्वारा गोद लेना स्वीकार किया गया है।

(घ) कॉलम (4) यदि केवल एक ही व्यक्ति को नामित किया गया है तो, शब्द "पूर्णतः" को मनोनीत के सामने लिख दिया जाए, यदि एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करें तो, भविष्य निधि के अपने खाते में जमा संपूर्ण राशि मनोनीत हर एक व्यक्ति को देय हिस्से के बारे में उल्लिखित करना होगा।

(ङ) कॉलम (5) इस खाने में मनोनीत (मनोनीतों) की मृत्यु आकस्मिकता के रूप में उल्लेख नहीं करना चाहिए।

(च) कॉलम (6) आप के नाम का उल्लेख न करें।

(छ) आप से हस्ताक्षर किए जाने के बाद किसी नाम के सन्निविष्ट (शामिल) रोकने के लिए आखिरी इन्दराज के खाली जगह के नीचे रेखाएं खींच लें।

फार्म-2 (विनियम 24 देखें)

अंतिम भुगतान/निगमित निकायों/अन्य सरकारों को———————————————

भविष्य निधि लेखा का अंतरण/अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र।

सेवा में,

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकार,

———————————

(विभागाध्यक्ष द्वारा)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/हो गया हूं/हटा दिया गया/पदच्युत/————————————में स्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया। मंडल सेवा से अंततः इस्तीफा दे दिया है————————————————————

मैं नियुक्त होने के लिए मंडल से इस्तीफा दिया है और मेरा त्यागपत्र——————————————सुबह दोपहर से मंजूर कर लिया गया। मैंने——————————————की सुबह/दोपहर से सेवा में भर्ती हुआ।

2. मेरी भविष्य निधि लेखा सं.——————————है।

3. मैं अपने कार्यालय/लेखा विभाग से भुगतान प्राप्त करना चाहता हूं।

मेरे पहचान चिन्ह, बायें हाथ की अंगूठे और अंगुली का छाप (अनपढ़ अंशदाता के लिए) और दो प्रतियों में नमूना हस्ताक्षर (पढ़े लिखे अंशदाता के लिए), मंडल के श्रेणी-1 अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित करके संलग्न किया गया है।

भाग–I

(सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष तक अंतिम भुगतान के लिए भेजने वाले आवेदन पत्र को भरने के लिए)।

4. आपके द्वारा भेजे गये लेखा विवरण के अनुसार मेरे भविष्य निधि लेखा में————————वर्ष————————की बाकी जमा रु.————————(यथा संलग्न) जो लेखा विभाग में मेरे लेजर लेखा में है, कृपया अंतिम भुगतान की पहली किश्त के रूप में मेरा भुगतान देने का प्रबंध करें।

5. मेरे भविष्य निधि की पहली किश्त को भुगतान होने के बाद, मैं सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद में प्रपत्र के भाग-2 में अनुवर्ती भुगतान के लिए आवदन करूंगा।

भवदीय,

स्टेशन : हस्ताक्षर :

दिनांक : नाम :

पता :

विभागाध्यक्ष द्वारा भुगतान नही चाहने पर यह लागू होता है।
(विभागाध्यक्ष के उपयोगार्थ)

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी (वर्ष से वर्ष तक उन्हें प्रस्तुत किये गये विवरण के अनुसार प्रमाणित) की/का भविष्य निधि लेखा सं.......................

3. वह मंडल की सेवा से दि..........को सेवानिवृत्त होगा/होगी।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने निम्नलिखित अग्रिम लिया है जिसके लिए..........रुपये की किश्त वसूल करना और निधि लेखा में जमा करना बाकी है। उनको मंजूर किये गये अंतिम आहरण के विवरण भी नीचे दिये गये है।

अस्थायी अग्रिम	अंतिम आहरण
1.	
2.	
3.	
4.	

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

भाग–II

(अंशदाता द्वारा उसके सेवानिवृत्त होने के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाए। निवर्तन बर्खास्त इस्तीफा इत्यादि की तारीख के बाद पहली बार अंतिम भुगतान के लिए आवेदन भेजने वाले अंशदाताओं के लिए भी लागू होगा)

मेरे भविष्य निधि की अंतिम भुगतान बकाया की अंतिम भुगतान के लिए दिनांक........को पूर्व आवेदन के सिलसिले मे मैं विनती करता हूं कि नियम के तहत मेरे खाते की सम्पूर्ण बचत ब्याज सहित मुझे भुगतान करें।

अथवा

नियमों के तहत देय ब्याज सहित मेरे जमा की सम्पूर्ण रकम मुझे भुगतान करें/...................को स्थानांतरित करें।

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

(विभागाध्यक्षों के प्रयोगार्थ)

पृष्ठांकन सं. ·················दिनांक·············सिलसिले में आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को अग्रेषित।

2. श्री/श्रीमती ने ·······································मंडल से सेवानिवृत्ति/निकाल दिये गये/बर्खास्त/स्थायी रूप से······························स्थानांतरित/अंतिम रूप से मंडल से इस्तीफा दिया। ······················से नियुक्ति पाने के लिए अंतिम रूप से मंडल सेवा से इस्तीफा दे दिया। और उनका इस्तीफा दिनांक ··········की सुबह/दोपहर से स्वीकार कर लिया गया है। वह——————————से दि.————की सुबह/दोपहर से सेवा में भर्ती हुए थे।

3. इस कार्यालय की बिल सं.——————दि.————को रु.————की वाऊचर सं. ————दिनांक————द्वारा उनकी अंतिम निधि कटौती की जाएगी/कटौती की जाएगी रकम रु.———के लिए रु.————की अग्रिम वापसी करने के लिए की गयी वसूली रु.————है तथा रु. ————का बी.पी.एफ. हैं।

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती को मंडल की सेवा छोड़ने की तिथि से 12 महीने पहले के दौरान उनके भविष्य निधि लेखा से उन्हें किसी तरह का अस्थायी अग्रिम अथवा किसी प्रकार का अंतिम आहरण मंजूर नही किया गया।

अथवा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती के मंडल की सेवा छोड़ने के बाद वाली तारीख से पहले 12 महीने के दौरान उन्हें भविष्य निधि से निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम/अंतिम आहरण मंजूर किया गया।

अग्रिम/आहरित की गई रकम	तारीख	वाउचर संख्या
1.		
2.		
3.		

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती के मंडल सेवा छोड़ देने के तुरंत बाद वाली तारीख से पहले बारह महीने के दौरान बीमा प्रीमियम चुकाने अथवा नई पॉलिसी लेने के लिए उनके भविष्य निधि लेखा से किसी प्रकार की रकम नही निकाली गयी/निम्नलिखित रकम निकाली गयीं।

रकम	तारीख	वाउचर संख्या
1.		
2.		
3.		

@ 6. प्रमाणित किया जाता है कि मंडल के किसी प्रकार के डिमांड (मांग)/वसूली के लिए बाकी नही है/निम्नलिखित डिमांड (मांग) बाकी है।

@@ 7. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ने किसी अन्य महापत्तन के विभाग में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के तहत अथवा राज्य द्वारा शासित स्वयं संचालित अथवा निकाय निगम में नियुक्ति पाने के लिए पूर्व अनुमति के बिना मंडल सेवा से इस्तीफा दिया है।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

@ केवल अंशदायी भविष्य निधि के मामले में ही प्रमाण पत्र सं. 6 प्रस्तुत किया जाए।

@@ आवश्यक नहीं होने पर कृपया काट दें।

फार्म 3

(विनियम 22 देखें)

भविष्य निधि लेखा में किसी अंशदाता के बकायों के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र। नामांकन द्वारा अथवा नामांकन नहीं करने पर किसी अन्य दावेदार द्वारा प्रयोगार्थ।

सेवा में,

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,

____

(विभागाध्यक्ष के माध्यम से)

महोदय,

सविनय निवेदन है कि श्री/श्रीमती———————————के भविष्य निधि लेखा में जमा ——————— का भुगतान करने की व्यवस्था करें। इस संबंध में अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :—

का नाम :

2. जन्म की तारीख :

3. कर्मचारी की पदवी :

4. मृत्यु की तारीख :

5. उपलब्ध हो तो नगर निगम से जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु के साक्ष्य रूप में। :

6. अंशदाता को दी गयी भविष्य निधि लेखा की संख्या :

7. यदि जानकारी हो तो मृत्यु के समय में अंशदाता की जमा भविष्य निधि की रकम। :

8. यदि नामांकन किया गया है तो अंशदाता की मृत्यु की तारीख पर जीवित नामित व्यक्ति का विवरण :

नामित व्यक्ति का नाम	अंशदाता के साथ संबंध	नामित व्यक्ति का हिस्सा
1.		
2.		
3.		
4.		

9. नामित व्यक्ति परिवार के सदस्य से भिन्न है तो अंशदाता के परिवार का विवरण, यदि अंशदाता ने बाद में परिवार बना लिया हो······

नाम	अंशदाता के साथ संबंध	मृत्यु की तारीख पर आयु
1. ···················	······················	······················
2. ···················	······················	······················
3. ···················	······················	······················

10. नामांकन नहीं करने पर अंशदाता की मृत्यु के समय उसके परिवार में जीवित सदस्यों का विवरण। बेटी के मामले में अथवा अंशदाता के मृत बेटे की, बेटी की अंशदाता की मृत्यु की तारीख से पहले शादी हुई हो तो उसके नाम के आगे यह बताना होगा कि क्या अंशदाता की मृत्यु की तारीख पर उसका पति जीवित है?

नाम	अंशदाता के साथ संबंध	मृत्यु की तारीख पर आयु
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....

11. रकम नबालिग बच्चे को देय होने पर (अंशदाता की विधवा) बच्चे की माता यदि हिन्दू नहीं है तो दावा क्षतिपूर्ति बंध पत्र अथवा आवश्यकतानुसार अभिभावकता प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए)।

12. अंशदाता का कोई परिवार नहीं होने पर और कोई नामांकन नहीं होने पर, भविष्य निधि की रकम जिन व्यक्तियों को भुगतान करना है उनके नाम (सम्प्रमाणित अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र इत्यादि से समर्थित की जाए) ....

नाम	अंशदाता के साथ संबंध	पता
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....

13. दावेदार का धर्म ....

14. भुगतान वि.स.एवं मु.ले. अधि. के कार्यालय द्वारा विभाग द्वारा भेजें।

इस संबंध में सेवारत श्रेणी-I अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप में साक्ष्यांकित प्रलेख संलग्न है—

(i) पहचान के व्यक्तिगत चिह्न.......

(ii) दायें/बायें हाथ का अंगूठा अथवा अंगुली की छाप (दावेदार के अनपढ़ होने की अवस्था में)

(iii) दो प्रतियों में हस्ताक्षर के नमूने (पढ़ें लिखें दावेदार के मामले में)

भवदीय,

स्टेशन :......

तारीख :......

(दावेदार के हस्ताक्षर)

(पूरा नाम व पता)

विभागाध्यक्ष द्वारा भुगतान की इच्छा न रखने पर यह लागू होगा।
(विभागाध्यक्ष के प्रयोगार्थ)

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के ················ अपेक्षित कार्यवाही हेतु भेजा गया। ऊपर दिये गये विवरण की विधिवत रूप से जांच की गयी।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी की भविष्य निधि लेखा सं ··············· (प्रस्तुत किये गये वार्षिक विवरण के मुताबिक)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी ················ की मृत्यु दि. ············ हुई। नगर निगम प्राधिकारी से प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। उसकी मृत्यु के मामले में कोई शंका नहीं होने की वजह से इसकी आवश्यकता नहीं है।

4. उनके वेतन से ·············· महीने में निकाली गयी इस कार्यालय की बिल सं. ·········· दि········ रु. ·········· (रुपये ······················) रोकड़ वाउचर सं. ··········· दि. ··········· से निकाली गयी अंतिम निधि की कटौती की गयी। कटौती की गयी रकम रु. ·········· और रु. ·········· अग्रिम वापस करने के लिए वसूली और रु. ·········· का वी.पी.एफ.।

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी ··············· की मृत्यु की तारीख से 12 महीने पहले की अवधि में उनके भविष्य निधि लेखा से कोई अस्थायी अग्रिम अथवा अंतिम आहरण नहीं किया गया।

अथवा

6. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी की मृत्यु की तारीख के 12 महीने पहले की अवधि में उनके भविष्य निधि खाते से अस्थायी अग्रिम/ अंतिम आहरण की मंजूरी दी गयी।

निकाली गयी अग्रिम/रकम	भूनाने की तारीख और स्थान	वाउचर संख्या
1.	....	....
2.	....	....

7. यह प्रमाणित किया जाता है कि मंडल के कोई निम्नलिखित डिमांड (मांग) वसूली के लिये हैं/नहीं है।

(विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

टिप्पणी: केवल सी.पी.एफ. मामले में ही प्रमाण पत्र सं. 6 प्रस्तुत करें।

फार्म-4

(विनियम 14 देखें)

भविष्य निधि से अग्रिम के लिए आवेदन का प्रारूप

································· विभाग ························ से अग्रिम के लिए आवेदन (यहाँ पर निधि का नाम लिखें)

1. अंशदाता का नाम:
2. लेखा संख्या (विभागीय अनुलग्न के साथ):
3. पदनाम:
4. वेतन रु० ....
5. आवेदन की तारीख पर अंशदाता की जमा में बचत निम्नानुसार है:
   (1) वर्ष ·········· के लिए विवरण के अनुसार अंत शेष रु० ·········· है।
   (2) मासिक अंशदान के मामले में ·········· से ·········· तक जमा रु० ··········

(3) प्रतिदाय रु० ....

(4) दि० .... से .... तक की अवधि के दौरान निकासी रु० ....

(5) खाते में शुद्ध शेष रु० ....

6. बकाया/अग्रिम रकम यदि है उनसे अग्रिम लेने का प्रयोजन (कारण) ली गयी अग्रिम रकम रु० .... दि० .... तक बाकी बकाया रु० ....

7. अपेक्षित अग्रिम रकम रु० ....

8. (क) अग्रिम की आवश्यकता के कारण ।

(ख) नियम जिनके तहत अनुरोध आता है।

(ग) यदि अग्रिम गृह निर्माण इत्यादि के लिए लिया गया है तो निम्नलिखित सूचना दी जाए।

(i) जगह (प्लाट) का स्थान और माप

(ii) क्या जगह फ्री होल्ड अथवा पट्टे पर है?

(iii) निर्माण के लिए नक्शा (प्लान)

(iv) खरीदे जाने वाले प्लाट (जगह) अथवा फ्लैट गृह निर्माण समिति का है, तो समिति का नाम, स्थान और माप इत्यादि।

(v) निर्माण की लागत।

(vi) फ्लैटों यदि विशाखापट्टणम शहरी विकास प्राधिकार अथवा किसी हाऊसिंग बोर्ड आदि से खरीदने पर स्थान, विस्तार इत्यादि के विवरण दें।

(घ) बच्चों की पढ़ाई के लिए यदि अग्रिम अपेक्षित है तो निम्नलिखित विवरण दिये जाएं।

(i) बेटे/बेटी का नाम :

(ii) कक्षा और संस्थान/कॉलेज :

(iii) दिवाछात्र है अथवा छात्रा वासी है:

(ङ) अग्रिम परिवार के सदस्यों की बीमारी के इलाज के लिए अपेक्षित होने पर निम्नलिखित विवरण दें :

(i) रोगी का नाम एवं संबंध

(ii) अस्पताल/औषधालय/डॉक्टर का नाम जहां रोगी का इलाज चल रहा है :

(iii) क्या बहिरंग/आंतरिक रोगी है :

(iv) क्षतिपूर्ति की उपलब्धता है या नहीं है :

टिप्पणी : 8(ग) से 8(घ) के तहत अग्रिम लेने के मामले में प्रमाण पत्र अथवा प्रलेखी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

9. समाहित अग्रिम की रकम (मद 6 और 7) तथा समेकित अग्रिम वापस करने वाली मासिक किश्तों की संख्या रु० .... किश्तों में।

10. अग्रिम के लिए आवेदन का औचित्य बताते हुए अंशदाता की आर्थिक स्थितियां हालात का सम्पूर्ण ब्यौरा ....

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त दिये गये विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास के मुताबिक सही और पूर्ण हैं तथा मेरे द्वारा कुछ गुप्त नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

विभाग :

तारीख :

भविष्य निधि से अग्रिम मंजूरी का प्रपत्र

सं०

विभाग/कार्यालय

आदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी .... को उनके द्वारा व्यक्त की गयी रकम चुकाने के लिए उनके सामान्य भविष्य निधि, लेखा सं .... में रु. .... (केवल .... रुपये) का अग्रिम देने के लिए विनियम .... के तहत .... ने मंजूरी दी।

2. अग्रिम को .... महीने के लिए देय .... महीने में भुगतान किये जाने वाले वेतन से शुरु होने वाले महीने से प्रति मास के रु. .... रु. की .... मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा।

3. उन्हें .... में मंजूर की गयी और .... में भुगतान की गई अग्रिम रु. .... (केवल .... रुपये) में से रु० .... की रकम नीचे दिये गये विवरण के अनुसार समेकित रकम की वसूली प्रारम्भ करने तक बकाया होगी। यह रकम अभी मंजूर की गयी अग्रिम रकम के साथ मिलकर रु० .... ; जो प्रति .... रु० मासिक किश्त के दर से .... मासिक किश्तों में वसूल की जायेगी यह वसूली .... महीने में देय .... महीने के वेतन से शुरु होगी।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी .... के खाते में दि. .... तक जमा का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) वर्ष .... के लिए लेखा पर्ची के अनुसार बचत रु. ....

(ii) ...... से ...... तक प्रति महीने की दर पर अनुवर्ती निक्षेप और वापसी रु. ....

(iii) कालम (i) और (ii) के कुल रु. ....

(iv) बाद के आहरण, यदि होने पर रु. ....

(v) मंजूरी की तारीख पर शेष कॉलम रु. ....

सेवा में ....

मंजूरी प्राधिकारी

फार्म-5

विनियम–17

भविष्य निधि से निकासी के लिए आवेदन हेतु प्रपत्र।

.... विभाग

.... से निकासी के लिए आवेदन (यहां पर निधि का नाम लिखे) :

1. अंशदाता का नाम

2. लेखा सं०

3. पदनाम (विभागीय अनुलग्नक सहित)

4. वेतन

5. सेवा में भर्ती होने की तारीख और निवर्तन की तारीख

6. आवेदन की तारीख पर अंशदाता के खाते में बचत निम्नानुसार है :—

(i) विवरण के अनुसार वर्ष ·········· का अंत शेष।

(ii) मासिक किश्तों में दि० ········ से ········· तक जमा उपर्युक्त (i) के अनुसार

(iii) अंत शेष के बाद निधि को किया गया प्रतिदाय।

(iv) दि० ········ से ········ तक की अवधि में निकासी

(v) आवेदन की तारीख पर शुद्ध शेष

7. अपेक्षित निकासी की रकम ····

8. (क) निकासी की आवश्यकता के कारण ··········
(ख) अनुरोध करने के नियम ·····

9. पहले इसी प्रयोजन के लिए किसी प्रकार की निकासी की गई, यदि हां तो रकम और वर्ष की सूचना दी जाए ···········

10. भविष्य निधि लेख रखने वाले लेखा अधिकारी का नाम ··········

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम :
पदनाम :
विभाग :

दिनांक :

भविष्य निधि से निकासी मंजूर करने के प्रपत्र

·· सं० ······························
·· ·····························विभाग

सेवा में,

··············· (भविष्य निधि लेखा सं० ··········रखने वाले लेखा अधिकारी का नाम ············)

विषय :—श्री ··············· द्वारा ············ से निकासी (यहां पर निधि का नाम लिखें)।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी··············· को ·············· खर्च पूरा करने के लिए लेखा सं० ··············· (यहां पर पदनाम लिखें) (विभागीय अनुलग्न सहित) से रु० ········· निकालने के लिए विनियम ··············· के विनियम ··············· के तहत ··············· की मंजूरी दी गयी है।

2. निकासी की रकम श्री/श्रीमती/कुमारी ··············· के छ महीने के वेतन अथवा उनके निधि लेखा में उनके खाते (जमा)/अंशदान से आधा, जो भी कम हो/शाख/अंशदान की रकम के तीन-चौथाई हिस्सा से ज्यादा न हो। उनका मूल वेतन' रु० ··············· (एफ आर एस के अनुसार)।

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ने निवर्तन पर अपनी सेवानिवृत्ति के समय वर्ष के भीतर दि० ······· को अपनी मंडल सेवा के बीस/पचीस वर्ष पूरा किये है।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ··············· द्वारा मंडल के सभी साधनों से जी०पी०एफ० को निकासी को मिलकर गृह निर्माण के प्रयोजनार्थ निकाली गई कुल रकम समय-समय पर कार्य तथा गृह निर्माण मंत्रालय की भवन निर्माण के लिए अग्रिम अनुदान योजना के नियम 2(क) और 3(ख) के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

5. श्री/श्रीमती/कुमारी .... के खाते में दि० .... तक का शेष (बचत) का विवरण नीचे दिये गये है :— ....

(i) लेखा पर्ची के अनुसार वर्ष का शेष रु० ....

(ii) दि० .... से .... तक प्रति माह .... रु० ....
की दर पर अनुवर्ती जमा और वापसी (अदायगी)

(iii) कॉलम (i) और (ii) के कुल रु० ....

(iv) अनुवर्ती निकासी, यदि है तो रु० ....

(v) मंजूरी कॉलम (3) (4) की तारीख पर शेष कॉलम (3) (4) रु० ....

6. श्री/श्रीमती/कुमारी .... को इस कार्यालय से पिछली बार रु० .... का अंश अंतिम निकासी के मंजूरी दी गयी थी देखें .... वर्ष .... के बाद का लेखा विवरण। श्री/श्रीमती/कुमारी .... को ज्ञात है (उनके कथनानुसार) कि पिछली बार रु० .... रकम का अंश अंतिम निकासी के लिए मंजूरी उन्होंने लिया है।

भवदीय
मंजूरीदाता प्राधिकारी

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1.

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... का ध्यान विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (सा०भ०नि०) विनियम, 1992 के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार अंशदाता जिन्हे निधि से धन निकालने की अनुमति दी गयी है उन्हे मंजूरीकर्त्ता प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट करना चाहिए कि जिस प्रयोजन के लिए रकम निकाली गयी है उसी के लिए उसका सदुपयोग किया गया है। मंजूरी दी गयी उपर्युक्त निकाली गयी रकम जिस प्रयोजन के लिए निकाली गयी थी उसी के लिए उपयोग की गयी है ऐसा प्रमाण पत्र, कृपया धन निकासी के .... महीनों के भीतर प्रस्तुत करे।

3. लेखा अधिकारी

....

किसी अन्य कार्यालय से तबादला होने पर उक्त कर्मचारी के बारे में अंश-अंतिम निकासी के लिए पिछली मंजूरी के विवरण कार्यालय मे उपलब्ध नही होने पर मंजूरी में वैकल्पिक प्रमाण पत्र रिकार्ड करना चाहिए।

....

फार्म–6

(विनियम 19 देखें)

अग्रिम को अंतिम निकासी में परिणत करने के लिए आवेदन।

1. अंशदाता का नाम :

2. पदनाम तथा संबंधित कार्यालय :

3. वेतन :

4. भविष्य निधि का नाम तथा लेखा सं :

5. आवेदन देने की तारीख को खाते में बचत (सामान्य भविष्य निधि अंशदाता को देय ब्याज सहित उनके द्वारा वास्तव में अंशदान की गयी रकम) :

(क) अंतिम निकासी मे परिणत किये जाने वाले शेष बकाया :

(ख) ली गई अग्रिम रकम पर देय ब्याज :

7. (क) अग्रिम लेने का प्रयोजन :

(ख) अग्रिम भुगतान करने की तारीख :

(ग) मंजूर की गई अग्रिम रकम :

8. अग्रिम मंजूर करने की सूचना देने संबंधी विवरण :

9. उपर्युक्त बताये गये कारण के लिए पहले भी कोई अग्रिम अथवा अंतिम निकासी ली गयी है, यदि हां, तो उनके विवरण दें :

10. (क) इस आवेदन की तारीख पर कुल सेवा, अंतराल अवधि सहित यदि हां तो उन्हें मिलाकर :

(ख) निवर्तन आयु पर पहुंचने के लिए आवेदन की तारीख पर बाकी सेवा की अवधि :

(ग) निवर्तन की तारीख :

स्थान : आवेदक का हस्ताक्षर

तारीख : दिनांक....................

सं.

उपर्युक्त विवरण सही है, इसकी जांच की गयी है।

सिफारिश कर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

आदेश

संख्या.............. दिनांक..........

विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (सा०भ०नि०) विनियमों के विनियम-18 के तहत .... विभाग के श्री/श्रीमती/कुमारी .... को जिन्हें दिनांक .... 19 .... पर सामान्य भविष्य निधि अग्रिम रु. .... में से रु. .... की बकाया शेष रकम निकालने की मंजूरी दी गयी थी और बिल सं० .... (सा०भ०नि० लेखा सं० ....) से रकम निकाली गयी थी, उन्हें .... प्रयोजन के लिए रु. .... की राशि (केवल .... रुपये) को अंतिम निकासी में परिणत करने की .... मंजूरी सूचित की जा रही है।

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

दिनांक ....

सं.

प्रतिलिपि अग्रेषित :

(1)

(2)

(3) .... इत्यादि, इत्यादि

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

फार्म 7

(विनियम 28 देखें)

..........कार्यालय

अनिवार्य अंशदाताओं को ....महीने का भविष्य निधि लेखा संख्या आबंटित करने के विवरणों का ब्यौरा ।

वेतन और भत्ता नामे डालने के लिए लेखा शीर्ष

(नीचे विनियम के निर्णय देखें)

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम (अंशदाता)	अंशदाता के पिता/पति का नाम	अंशदाता की जन्म तिथि	सेवा में भर्ती होने की तारीख	पदनाम
1	2	3	4	5	6

संख्या............... दिनांक...............

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को अपेक्षित कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया। विवरणी में शामिल किये गये कर्मचारियों को.......... मंडल के विनियमों के तहत.......... निधि में भर्ती होना आवश्यक है। पिछले विवरणी में उनके नाम शामिल नहीं किए गये थे और पहले वे किसी भी भविष्य निधि के सदस्य नहीं थे। (टिप्पणी कालम में बताये गये अनुसार नामांकन संलग्न है)।

कृपया फार्म भरने से पूर्व फाम के पीछे दिये गये अनुदेशों को सावधानी से पढ़े

निधि का नाम...............

परिलब्धियां	अंशदान की मासिक दर (पूरे रु.में)	अंशदान शुरू करने की तारीख	टिप्पणी	आबंटित लेखा सं. वि.स. एवं मु.ले. अधि. द्वारा भरी जाए
7	8	9	10	11

संख्या............... दिनांक...............

आबंटित की गयी लेखा सं .... में वापस किया गया इसकी सूचना अंशदाता को दी गई और सेवा पंजी, नामांकन तथा अन्य सरकारी रिकार्ड में नोट किया गया। किसी भी अंशदाता के भविष्य निधि से संबधी सभी पत्राचार में लेखा संख्या/क्रम सं .... में नामांकन का रसीद की पावती दें।

लेखा अधिकारी

वि.स.एवं मु. ले. अधिकारी

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिखाये गये नाम के कर्मचारी तत्संबंधी विनियमों के अनुरूप भविष्य निधि में अंशदान करने योग्य हैं ।

(विभागाध्यक्ष)

विवरण भरने के अनुदेश:

(क) निधि को अंशदान अनिवार्य होने के मामले में इस फार्म को प्रयोग किया जाए।

(ख) वेतन और भत्ता विविध लेखा मुख्य शीर्ष और उप मुख्य शीर्ष के नामे डालने वाले व्यक्तियो के लिए अलग फार्म का प्रयोग किया जायेगा ।

(ग) निधि का नाम उचित शब्दों में (अर्थात्) सामान्य भविष्य निधि में भरा जाएगा ।

(घ) विवरण दो प्रतियों में भेजा जाए। इसमें स्थायी कर्मचारियों के नाम शामिल किया जाए जो पिछले महीने सेवा में भर्ती हुए है तथा जिन्हें मंडल सेवा में प्रविष्ट होने पर अनिवार्य रूप से निधि में भर्ती होना अपेक्षित लगातार एक वर्ष की सेवा समाप्त करने वाले अथवा अन्यथा भविष्य निधि में अंशदान करने योग्य, आगे तीन महीने समाप्त करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के नाम शामिल होना चाहिए ।

(ङ) कॉलम 3 विवाहित स्त्री अंशदाता द्वारा स्थिति के बारे में सूचित करते हुए पति का नाम (पिता के नाम के बजाय) दिया जाए ।

(च) कॉलम 7 महंगाई वेतन यदि कुछ है तो उसे अलग से दिखायें।

(छ) कॉलम 8 कृपया विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (सा.भ.नि.) विनियम 1992 का विनियम 9 देखे।

(ज) कॉलम 9 विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (सा.भ.नि.) विनियम, 1992 के तहत महीने के बीच में लगातार एक वर्ष की सेवा समाप्त करने वाले अस्थायी कर्मचारी के मामले में सामान्य भविष्य निधि में अंशदान उसकी एक वर्ष की सेवा समाप्त होने के तुरन्त बाद वाले महीने के वेतन से शुरू होगा।

(झ) अंशदाता से निर्धारित प्रपत्र में नामांकन करवाना चाहिए और टिप्पणी कॉलम में एक उचित नोट लिख कर इस विवरण के साथ वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को भेजना चाहिए।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1993

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Visakhapatnam Port Employees (General Provident Fund) Regulations, 1993 made by the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and set out in the Schedule annexed to this notification.

The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. PR-12012|19|93 PE-I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

VISAKHAPATNAM PORT EMPLOYEES (G.P.F.) REGULATIONS, 1993 :

G.S.R. .—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the M.P.T Act, 1963 (38 of 1963) the Visakhapatnam Port Trust hereby makes the following regulations, in supersession of the V.P.E. (GPF) Regulations, 1964 published as G.S.R. No. 328 dt. 29-2-64 in Gazette of India, subject to approval of Central Government as required under Section 124 of the aforesaid Act.

1. Short title & Commencement.—(a) These Regulations may be called the Visakhapatnam Port Employees' (General Provident Fund) Regulations, 1993.

(b) They shall come into force from the date of publication of these regulations in the Central Government Gazette.

2. Interpretation.—In these regulations unless the context otherwise requires :

(1) "Accounts Officer" means the Financial Adviser & Chief Accounts Officer of the Board;

(2) "Board", "Chairman", "Depuy Chairman" shall have the same meaning as assigned to them in the Major Port Trusts Act, 1963;

(3) "Emoluments" means pay, leave salary or subsistence grant as defined in the Fundamental Rules of the Central Government or in the regulations, if any, framed by the Board, whichever may be applicable to the subscriber and any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service but does not include conveyance allowance, house rent allowance, overtime allowance, cement testing allowance, fee for supervision of floating craft, diving allowance and ration allowance.

Provided that "emoluments" in respect of the lighterman and Crane (Electric) Drivers shall mean the amounts as may be fixed by the Board from time to time;

(4) "employee" means an employee of the Board;

(5) "family" means;

(i) In the case of male subscriber, the wife or wives, parents, children, miner brothers, un-married sisters, deceased Son's widow and children, and where no parents of the subscriber is alive, a Paternal grand parent.

Provided that if a subscriber proves that his wife had been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which

she belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these Regulations relate unless the subscriber subsequently intimates, in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded.

(ii) In the case of a female subscriber the husband, parents, children, minor brothers, un-married sisters, deceased sons' widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Head of Department expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

NOTE : "Child" means a legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the Personal law governing the subscriber or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890) who lives with the employee and is treated as a member of the family and to whom the employee has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

(6) "Fund" means the Visakhapatnam Port Employees' General Provident Fund.

(7) "Leave" means any kind of leave recognised by the Fundamental Rules or other rules or orders of the Central Government or by the Leave Regulations, if any, framed under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 which ever may be applicable to the subscriber.

(8) "Year" means the financial year.

(9) Any other expression used in these regulations which is defined either in the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925), or in the Fudamental Rules of Central Government or the Leave Regulations mentioned in sub-regulation (7) (whichever may be applicable to the subscriber) shall have the meaning as assigned to them in such Act, rules or regulations.

(10) Nothing in these regulations shall be deemed to have the effect of terminating the existence of the G.P.F. as heretofore existing or of constituting any new fund.

(11) The G.P.F. constituted heretoforce shall continue to be inforce and shall be treated as if constituted and continued under these regulations.

3. Constitution and Managament of the Fund.—The Fund shall be administered by the Board and shall be maintained in India in rupees.

4. Conditions of eligibility.—(1) All permanent employees, other than re-employed persons, and all temporary employees who have rendered continuous service of one year or more on the date of commencement of these regulations shall be required to subscribe to the Fund. Temporary employees whose period of service on the date of commencement of these Regulations is less than one year shall be required to subscribe to the Fund from the month following that in which they complete one year's service.

(2) The Board may at its discretion, require any other category of employees to subscribe to the fund.

(3) Employees who are subscribers to any contributory provident fund shall not be required to subscribe to the fund.

5. On the commencement of these regulations, the balance, if any, standing to the credit of an employee in the General Provident Fund constituted under the V.P.E. (GPF) Regulations, 1964 shall be credited to the account of the employee under the fund constituted under these Regulations.

6. "Nomination".—(1) A subscriber shall at the time of joining the fund, submit to the concerned Head of Department a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the fund, in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Provided that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make such nomination only in favour of a member or members of his family.

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination duly made under this regulation until he makes a nomination in accordance with this regulation.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-regulation (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the forms set forth in the first schedule appended.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Head of Department. The subscriber shall, alongwith such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(5) A subscriber may provide in a nomination—

(a) In respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members

of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee;

(b) That the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein;

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternative nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-regulation (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-regulation (5) or the proviso thereto the subscriber shall send to the Head of Department, a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Head of Department.

7. Subscriber's Account.—An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown :—

(i) His subscriptions;

(ii) Interest, as provided by regulation-11, on subscription; and

(iii) Advances and withdrawals from the fund.

8. Conditions of Subscriptions.—(i) A subscriber shall subscribe monthly to the fund except during the period when he is under suspension :

Provided that a subscriber may, at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay :

Provided further that a subscriber on re-instatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one lumpsum, or in instalments, any sum not exceeding the maximum amount of arrear subscriptions payable for the period.

NOTE : A subscriber need not subscribe during the period treated as dies-non.

(ii) The subscriber shall intimate in writing his election not to subscribe during leave (referred to in the first proviso to sub-regulation (1) of Regulation 8 to the Accounts Officer. Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe. The option of a subscriber intimated under this sub-regulation shall be final.

(iii) A subscriber who has under Regulation 22 withdrawn the amount standing to his credit in the fund shall not subscribe to the fund after such withdrawal unless he returns to duty.

(iv) Notwithstanding anything contained in sub-Regulation (i) a subscriber shall not subscribe to the fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Head of Department in writing his option to subscribe for the said month.

9. Rates of subscription.—(i) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following conditions, namely :—

(a) It shall be expressed in whole rupees;

(b) It may be any sum, so expressed not less than six per cent of his emolument and not more than his total emoluments :

Provided that in the case of a subscriber who has previously been subscribing to a Contributory Provident Fund at the higher rate of 8-1/3 per cent, it may be any sum, so expressed, not less than 8-1/3 per cent of his emoluments and not more than his total emoluments.

(c) When an employee elects to subscribe at the minimum rate of 6 per cent or 8-1/3 per cent as the case may be, the fraction of a rupee will be rounded to the nearest whole rupee, 50 P. counting as the next higher rupee.

(ii) For the purpose of sub-regulation (i), the emoluments of a subscriber shall be—

(a) In the case of a subscriber who was in Board's service on the 31st March, of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date.

Provided that :—

(i) If the subscriber was on leave on the said date, and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;

(ii) If the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continue to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India.

(b) In the case of a subscriber who was not in Board's service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the fund.

(iii) A subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner.

(a) If he was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he

makes in this behalf from his pay bill for that month;

(b) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and elected not to subscribe during such leave, or was under suspension on that date by the deduction which he makes in this behalf, from his first pay bill after his return to duty;

(c) If he was entered Board's service for the first time during the year, by the deduction which he makes in this behalf, from his pay bill for the month during which he joins the fund.

(d) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his salary bill for that month;

(e) If he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him to the Board's account on account of subscription for the month of April, in the current year.

(iv) The amount of subscription so fixed may be :

(a) reduced once at any time during the course of the year;

(b) enhanced twice during the course of the year; and

(c) reduced and enhanced as aforesaid.

Provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum prescribed in sub-regulation (1).

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for a part of a calender month and he had elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

10. Transfer to Foreign Service or Deputation out of India.—When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to the regulations of the fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

11. Realisation of Subsriptions.—(i) When emoluments are drawn in India or from an authorised office of disbursement outside India, recovery of subscriptions on account of these emoluments and of the principal and interest of advances shall be made from the emoluments themselves.

(ii) When emoluments are drawn from any other sources, the subscriber shall forward his dues monthly to the Accounts Officer.

Provided that in the case of a subscriber on deputation to a body corporate owned or controlled by Government, the subscriptions shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by such body.

(iii) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the fund or is on default in any month or months during the course of a year otherwise than is provided for in regulation 8, the total amount due to the Fund on account of arrears of subscriptions shall, with interest thereon at the rate provided in regulation 12, forthwith be paid by the subscriber to the Fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-regulaion (2) of Regulation-14.

Provided that the subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay any interest.

12. Interest : (i) Subject to the provisions of sub-regulation (5), the Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year by the Board.

Provided that a Subscriber who was previously subscribing to any other provident fund of the Central Government and whose subscriptions, together with the interest thereon, have been transferred to his credit in his fund under regulation 24 shall be allowed interest at 4 per cent. if he had been receiving that rate of interest under the rules of such other fund.

(ii) Interest shall be credited with effect from last day in each year in the following manner:

(a) On the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less any sums withdrawn during the current year interest for twelve months;

(b) On sums withdrawn during the current year interest from the beginning of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal;

(c) On all sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year—interest from the date of deposit up to the end of the current year.

(d) The total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise counting as the next higher rupee) :

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this regulation in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber became payable.

(iii) In this regulation, the date of deposit shall in the case of a recovery from emoluments be deemed to be the first day of the month in which it is recovered, and in the case of an amount forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it is received by the Accounts Officer before the fifth day of that month, but if it

is received on or after the fifth day of that month, the first day of the next succeeding month;

Provided that where there has been delay in the drawal of pay or leave, salary and allowances of a subscriber and consequently in the recovery of his subscription towards the fund, the interest on such subscription shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the Regulations, irrespective of the month in which it was actually drawn;

Provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub-regulation (ii) of regulation 11, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Accounts Officer before the fifteenth day of that month.

Provided further that where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month, the date of deposit shall, in the case of recovery of his subscriptions, be deemed to be the first day of the succeeding month.

(iv) In addition to any amount to be paid under regulations 20, 21 or 22, interest thereon upto the end of the month preceding that in which the payment is made, or upto the end of the sixth month after the month in which such amount, became payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid.

Provided that where the Accounts Officer has intimated to that person (or his agent) a date on which he is prepared to make payment in cash, or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated, or the date of posting the cheque as the case may be.

Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act 21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the fund accumulations of the subscriber the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of awarding interest under this sub-regulation.

NOTE: Payment of interest on the Fund balance beyond a period of six months may be authorised by;

(a) The Head of Accounts Office upto a period of one year; and

(b) The Chairman|Dy. Chairman upto any period.

after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscriber or the person to whom such payment was to be made, and in every such case, the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any, required, taken.

(v) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Accounts Officer that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.

(vi) The interest on amounts which under sub-regulation (iii) of regulation 11, Regulation 20 or 21 are replaced to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may, be successively prescribed under sub-regulation (i) of this regulation and so far as may be in the manner described in this regulation.

(vii) In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal, the over-drawn amount, irrespective of whether the over-drawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him with interest thereon in one lumpsum, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one lumpsum, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest, is recovered. For this sub-regulation the rate of interest to be charged on overdrawn amount would be 2-1|2 per cent over and above the normal rate on provident fund balance under sub-regulation (1). The interest realised on the overdrawn amount shall be credited to Board's Fund.

13. Transfer from other services: (1) Subject to the sanction of the Chairmen|Dy. Chairman in each case, a person who has joined the Board's service from the service of any Government or other employer, may, if he becomes a subscriber to the fund, have any amount standing to his credit in a provident fund maintained by the Government, or other employer on the date of his joining the Board's service, transferred to his credit in the fund. The amount so transferred shall carry interest only; it shall not entitle the subscriber to any contribution by the Board in respect thereof.

(2) In the event of a subscriber to the Fund being permanently transferred to a service under a Government or any other employer, the balance in the Provident Fund account of the subscriber may, instead of being paid in cash, be transferred to this account with the new employer and thereupon these Regulations shall cease to apply to him.

(3) The Provident Fund money held in Visakhapatnam Port Trust would continue to earn interest at the normal rate till the date of transfer of the amount.

14. Advances from the Fund : (1) The appropriate sanctioning authority may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months pay or half the amount standing to his credit in the

Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes;

(a) to pay expenses in connection with the illness or confinement or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him,

(b) to meet the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely

(i) For education outside India for an academic technical, profesional or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) For any medical, Engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than 3 years

(c) To pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other cermonies,

(d) To meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber for vindicating his position in regard to any allegations made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his duty, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in his case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source·

(e) to meet the cost of any items like Television, VCR, Refrigerator or any capital item

Provided that the advance under this sub regulation shall not be admissible to a subscriber who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his duty or against the Board in respect of conditions of service or penalty imposed on him

(f) To meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(g) In other cases of acute distress at the discretion of the Chairman

(2) The appropriate sanctioning authority may in special circumstances, sanction the paymet to any subscriber of a advance, if it is santisfied tnat the subscriber concerned required the advance for reasons other than those mentioned in sub-regulation (1)

(3) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-regulation (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance together with interest thereon

(4) When an advance is sanctioned under sub-regulation (3) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount

(5) After sanctioning the advance, the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in case where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under Clause (ii) of sub-regulation (3) of Regulation (23)

NOTE· (1) For the purpose of this regulation, pay includes dearness pay where admissible

NOTE (2) For the purpose of this regulation, the appropriate sanctioning authority shall be the authority that may be authorised by the Board to sanction advances from time to time

NOTE (3) A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under item (b) of sub-regulation (1) of Regulation-14 However, the Chairman may on an application by the employee duly explaining the circumstances relax the said proviso

15 Recovery of Advance: An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the Chairman or any other Officer authorised to sanction the advance may direct, but such number shall not be less than 12 unless the subscriber so elects and more than 24 In special cases where the amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber under Sub-Regulation (3) of Regulation 14, the authority sanctioning the advance may fix such number of instalments exceeding to be more than 24, but in no case more than 36 A subscriber may, at his option, repay more than one instalment in a month Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced if necessary, to admit of the fixation of such instalments

(2) Recovery shall be made in the manner prescribed in Regulation 11 for the realisation of subscriptions, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for 10 days or more in a calender month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be The recovery may be postponed, on the subscriber's written request, by the Chairman during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall with inte-

rest at the rate provided in Regulation 12 forthwith be repaid by the subscriber to the Fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly instalments not exceeding 12 as may be directed by the Chairman or the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under Sub-Reg. (3) of Regulation 14.

Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayments shall not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, it shall be referred to the sanctioning authority for decision; and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in this Sub-Regulation.

(4) Recoveries made under this regulation shall be credited as they are made to the subscribers account in the fund.

16. Wrongful use of advance: Notwithstanding anything contained in these regulations, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the Fund under Regulation 14 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

NOTE: In this regulation the term "emoluments" does not include subsistence grant.

17. Withdrawals from the Fund: (1) Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned by the authorities competent to sanction an advance for special reason under sub-regulation (3) of Regulation 14 at any time.

(A) After the completion of twenty years, of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the fund, for one or more of the following purposes, namely:

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely.

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised courses in India beyond the High School stage, as indicated in second schedule.

(b) meeting the expenditure in connection with the betrothal|marriage of the subscriber or his sons or daughters, and any other female relation actually dependent on him;

(c) meeting the expenditure in connection with illness, including where necessary, the travelling expenses, the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(B) During the service of a subscriber from the amount standing to his credit in the fund for one or more of the following purposes, namely,—

(a) building or acquiring a suitable house or ready built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by the VUDA, State Housing Board or a House Building Society.

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready built flat for his residence;

(c) purchasing a house site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;

(d) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;

(e) renovating, additions or alterations or upkeep of ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from Board at a place other than the place of duty ;

(f) Constructing a house-on-a site purchased-under clause (c).

(C) Within 12 months before the date of subscriber's retirement on superannuation from the amount standing to the credit in the fund without linking to any purpose.

NOTE: A subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the Ministry of Works and Housing for the grant of advance for house building purpose or has been allowed any assistance in this regard from any other source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub clause (a), (c), (d), and (f) of clause B for the purpose specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the previso to Sub-Regulation (1) of Regulation 18.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Board shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clause (a), (c) and (f) of clause (B) for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.

NOTE (2): Withdrawal under sub-clause (a), (d), (e) or (f) of clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

NOTE 3: The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of clause (B) shall not exceed 3|4ths of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is . 3|4th of the balance as on date plus amount of previous withdrawal (s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal (s).

NOTE (4) . Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of clause (B) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive provident fund money in the nomination made by the subscriber.

NOTE (5) : Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this regulation But, marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of clause (B) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note (3)

NOTE (6) : A withdrawal under this Regulation shall not be sanctioned if an advance under Regulation 14 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(2) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the General Provident Fund Account with reference to the latest available statement of General Provident Fund Account together with the evidence of subsequent contribution, the competent authority may itself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of a refundable advance. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber. Where, however, the subscriber is not in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit or where there is any doubt about the admissibility of the withdrawal applied for, a reference may be made to the Account Officer by the competent authority for ascertaining the amount standing to the credit of the subscriber with a view to enable the competent authority to determine the admissibility of the amount of withdrawal. The sanction for the withdrawal should prominently indicate the General Prvident Fund Account Number and the Accounts Officer maintaining the accounts and a copy of the sanction should invariably be endorsed to the Accounts Officer. The sanctioning authority shall be responsible to ensure that an acknowledgement is obtained from the Accounts Officer that the sanction for withdrawal has been noted in the ledger account of the subscriber. In case the Accounts Officer reports that the withdrawal as sanctioned is in excess of the amount to the credit of the subscriber or otherwise inadmissible, the sum withdrawn by the subscriber shall forthwith be repaid in one lumpsum by the subscriber to the Fund and in default of such repayment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in lumpsum or in such number of monthly instalments as may be determined by the sanctioning authority.

(3) After sanctioning the withdrawal the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in case where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (ii) of sub-regulation (3) of Regulation 23.

18. Conditions for withdrawal .—(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in regulation 17 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six month's pay, whichever is less. The sanctioning authority may, however sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto three-fourths of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber, and (iii) the amount to his credit in the Fund in case of witdrawal under clause (A) and upto 90 per cent of balance at credit in case of withdrawals under clause (B) of sub-regulation (1) of Regulation 17.

Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in clause (B) of sub regulation (1) of Regulation 17 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under the House Building Advance Rules for the grant of advances for house building purposes.

Provided further that the withdrawal admissible under Regulation 17(1)(C) shall not exceed 90 per cent of the amount standing to the credit of the subscriber in the fund.

Provided further that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the rules for the grant of advances for house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, the sum withdrawn under this clause, together with the amount of advance taken under the aforesaid schemes or the assistance taken from any other Government source shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under the said rules.

NOTE (1) : A withdrawal sanctioned to a subscriber under sub-clause (a) of clause (A) of sub-regulation (1) of Regulation 17. may be drawn in instalments, the number of which shall not exceed four in a period of 12 calender months counted from the date of sanction.

NOTE : (2) A subscriber shall be permitted to make a withdrawal once in every six months under sub-clause (a) of clause (A) of sub-regulation (1) of Regulation 17. Every such withdrawal shall be treated as a withdrawal for a separate purpose for the purpose of sub-regulation (1) of Regulation 18.

NOTE · (3) In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed, through the VUDA or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-regulation (1) of regulation 18.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the fund under regulation 17 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for the purpose, for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lumpsum by the subscriber to the fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lumpsum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the sanctioning authority.

Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-regulation, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced; and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescrbed in this sub-regulation.

(3) (a) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a), sub-clause (b) or sub-clause (c) of clause (B) of sub-regulation (1) of Regulation 17 to withdraw money from the amount standing to his credit in the fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house site purchased with the money so withdrawn whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the sanctioning authority), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the sanctioning authority. He shall also not part with the possession of such house or house site by way of exchange or lease for a term exceeding three years, without the previous permission of the sanctioning authority.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or, the house site as the case may be continuous to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so, required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale mortgage or lease deed and also documents on which his title to the property is based.

(c) If at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the sanctioning authority he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in lumpsum to the fund, and in default of such repayment, the sanctioning authority shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by it.

NOTE: A subscriber who has taken loan from Board in lieu thereof mortgaged the house or house site to the Board shall be required to furnish the declaration to the following effect, viz.

"I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continue to be in my possession but stands mortgaged to Board.

19. Conversion of an advance into a withdrawal: A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under regulation 14, for any of the purposes specified in sub-regulation (1) of Regulation 17 may convert, at his discretion by a written request addressed to the Accounts Officer through the sanctioning Authority, the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in regulations 17 and 18.

NOTE: 1. The Head of Department in the case of Class-III & IV employees and the Accounts Officer concerned in the case of Class-I and II subscribers may be asked by the administrative authority to stop recoveries from the pay bills when the application for such conversion is forwarded to the Accounts Officer by that authority. In the case of Class-I & II subscribers, the administrative authority shall endorse a copy of the letter forwarding the subscriber's intimation to the Accounts Officer from where he draws his pay in order to permit stoppage of further recoveries.

NOTE. 2: For the purpose of sub-regulation (1) of Regulation 18, the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the subscsiber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

20. Final withdrawal of accumulation in the fund. When a subscriber quits the service, the amount sanding to his credit in the fund shall become payable to him.

Provided, that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service, shall, if required to do so by the sanctioning

authority repay any amount paid to him from the fund in pursuance of this regulation, with interest thereon at the rate provided in regulation 12 in the manner provided in the proviso to regulation 21. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

Explanation (1): A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, with or without a break in service, shall not be deemed to quit the service, when he is transferred without any break in service to a few post under any other major port authority (in which he is governed by another set of Provident Fund rules) and without retaining any connection with his former post. In such a case, his subscriptions together with interest there-on shall be transferred to his account in other Fund in accordance with the rules of that fund. The same shall hold good in case of retrenchment by immediate employment whether under the Board or under any other major Port authority.

NOTE : Transfers shall include cases of resignations from service in order to take up appointment in another Department of the Central Government or under the State Government without any break and with proper permission of the competent authority. In cases where there has been a break in service it shall be limited to the joining time allowed on transfer to a different station.

The same shall hold good in cases of retrenchments followed by immediate employment whether under the Board or under any other Major Port Authority.

EXPLANATION (2) · When a subscriber other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently reemployed, is transferred. without any break, to the service under a body corporate, owned or controlled by Govt. the amount of subscriptions, together with interest thereon, shall not be paid to him it shall be transferred with the consent of that body, to his new Provident Fund Account under that body.

Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under a body corporate owned or controlled by Government without any break and with proper permission of the competent authority. The time taken to join the new post shall not be treated as break in service if it does not exceed the joining time admissible to a employee on transfer from one post to another.

Provided that the amount of subscription together with interest thereon. of a subscriber opting for service under a Public Enterprise may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Account under the Enterprises if the concerned Enterprise also agrees to such a transfer If, however, the subscriber does not desire the transfer of the concerned Enterprise does not operate a Provident Fund. the amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

21. Retirement of subscriber.—When a subscriber while on leave, has been permitted to retire or been declared by a competent medical authority to be unfit for further service, the amount standing to his credit in the Fund shall, upon an application made by him in that behalf to the Accounts Officer, become payable to him.

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall, except where the Board decides otherwise, repay to the Fund, for credit to his account, the amount paid to him from the fund in pursuance of this regulation with interest thereon at the rate provided in Regulation 12 in cash or securities or partly in cash and partly in securities, by instalments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub regulation (3) or Regulation 14.

22. Procedure on death of a subscriber.--On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made :

(i) When the subscriber leaves a family—

(a) If a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of regulation 6 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

(b) If no such nomination in favour of a member or members of the family, of the subscriber/subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, not withstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family become payable to the members of his family in equal shares.

Provided that no share shall be payable to—

(1) Sons who have attained majority;

(2) Sons of a deceased son who have attained majority;

(3) Married daughters whose husbands are alive;

(4) Married daughters of a deceased son whose husband are alive.

If there is any member of the family other than whose specified in clauses (1), (2), (3) and (4).

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso.

(ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of regulation 6 in favour of any person or persons subsists the amount standing to his credit in the fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

23. Manner of payment of amount in the fund.—(1) when the amount standing to the credit of a subscriber in the fund becomes payable, it shall be the duty of the accounts officer to make payment on receipt of written application in this behalf as provided in sub-regulation (3).

(2) If a person to whom, under these regulations, any amount or policy, is to be paid, assigned or re-assigned or delivered, is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment or re-assignment or delivery shall be made to such manager and not to the lunatic :

Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum of payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of Sub-section (1) of Section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912 to the person having charge of such lunatic and the Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members of the lunatic's family as are dependents on him for maintenance.

(3) Payments of the amount withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment by a subscriber, namely :—

(i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of Department shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement, if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Head of Department for payment of the amount in the Fund. The application shall be made :—

(a) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Accounts Statement for the year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

(b) for the amount indicated in his ledger account in case the accounts statement has not been received by the subscriber.

(ii) The Head of Department shall forward the application to the Accounts Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also indicate the withdrawals, if any, taken by the subscriber after the period covered by the last statement of the subscriber's account sent by the Accounts Officer.

(iii) The Accounts Officer shall, after verification with the ledger account, issue an authority for the amount indicated in the application at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.

(iv) The authority mentioned in Clause (iii) will constitute the first instalment of payment. A second authority for payment will be issued as soon as possible after superannuation. This will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the amount mentioned in the application submitted under clause (i) plus the refund of instalments against advances which were current at the time of the first application.

(v) After forwarding the application for final payment to the Accounts Officer, advance/withdrawal may be sanctioned but the amount of advance/withdrawal shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer concerned who shall arrange this as soon as the formal sanction of sanctioning authority is received by him.

NOTE : When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under Regulation 20, 21 or 22 the Accounts Officer shall authorise prompt payment of the amount in the manner indicated in sub-regulation (3).

24. Procedure on Transfer of an Employee from one Major Port to another.—(a) If an employee who is a subscriber to the Fund is permanently transferred to pensionable service in any other major port in which he is governed by similar regulations, the amount of subscription, together with interest thereon standing to his credit in the Fund on the date of transfer shall be transferred to his credit in the fund of such major port :

Provided that where the rules so require, the consent of the major port authority concerned shall be obtained.

(b) If an employee who is a subscriber to the State Railways Provident Fund or any other Contributory Provident Fund of the Central Government or a State Contributory Provident Fund is permanently transferred to pensionable service in a Department of Major Port in which he is governed by these regulations and unless such a subscriber elects to continue to be governed by the rules of such Fund, when such an option is given :—

(i) the amount of subscriptions with interest thereon, standing to his credit in such Contributory Provident Fund on the date of

transfer shall with the consent of the concerned authority, if any, be transferred to his credit in the Fund;

(ii) The amount of contributions, with interest thereon, standing to his credit in such Contributory Provident Fund shall, with the consent of the concerned authority, if any, be credited to the credit of that fund.

(iii) he shall thereupon be entitled to count towards pension, service rendered prior to the date of permanent transfer to the extent permissible under the relevant Pension Regulations.

NOTE : 1. The provisions of this regulation do not apply to a subscriber who has retired from service and is subsequently re-employed with or without a break in service, or to a subscriber who was holding the former appointment on contract.

NOTE : 2. The provisions of this regulation shall, however, apply to persons who are appointed without break, whether temporarily or permanenty to a post carrying the benefits of these regulations after resignation or retrenchment from service under another Major Port.

25. Procedure on Transfer to Board Service of a Person from the Service under a Body Corporate Owned or Controlled by Government.—If an employee admitted to the benefit of the Fund was previously a subscriber to any Provident Fund of a body corporate owned or controlled by Government, the amount of his subscriptions and the employer's contributions, if any, together with the interest thereon shall be transferred to the credit in the Fund with the consent of that body.

26. Transfer of Amount to Contributory Provident Fund (India).—If a subscriber to the fund is subsequently admitted to the benefits of a contributory provident fund under the Board, the amount of his subscriptions in the Fund, together with interest thereon, shall be transferred to the credit of his account in the contributory provident fund (India).

NOTE : The provisions of this regulation shall not apply to a subscriber who is appointed on contract or who has retired from service and is subsequently re-employed with or without a break in service in another post carrying contributory provident fund benefits.

27. Relaxation of the Provisions and Regulations in Individual Cases.—When the Board is satisfied that the operation of any of these regulations causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, the Board may, notwithstanding anything contained in these regulaions, deal with the case of such subscriber in such manner as any appear to it to be just and equitable.

28. Number of Account to be Quoted at the Time of Payment of Subscriptions.—When paying a subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber should quote the number of his account in the fund which shall be communicated to him by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarily be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.

29. Annual Statement of Accounts to be Supplied to Subscriber.—(1) As soon as possible after the close of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of account an enquiry whether the subscriber—

(a) desires to make any alteration in any nomination made under regulation 6,

(b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under regulation 6.

(2) Subscribers shall satisfy themselves as to the correctness of the annual statement and errors should be brought to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of receipt of the statement.

(3) The Accounts Officer shall, if required by a subscriber, once but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing in his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

30. Central Govt. Rules to be Followed in the Application of these Regulations.—In applying these regulations and in respect of matters not dealt with these regulations, the provision contained in G.P.F. (Central services) Rules 960 and the orders/instructions etc., of the Central Government issued thereunder from time to time, shall be followed in so far as they are not inconsistent with the provision of these regulations, subject to such exceptions and modifications as the Board may from time to time determine.

31. Repeal.—The Visakhapatnam Port Employees' (GPF) Regulations 1964 are hereby repealed.

32. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Board whose decision thereon shall be final.

[No. PR-12012|19|93-PE-I]

Sd/- Illegible,

Senior Law Officer

FORM- I

VISAKHAPATNAM PORT TRUST

First Schedule (Regulation -6)

FORM OF NOMINATION

Account No.— —

I, ————————— hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s)/Non-member(s) of my family as defined in Regulation 2(5) of Visakhapatnam Port Employee's (General Provident Fund) Regulation, 1993, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below in the event of my death before, that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Name and full address of the nominee(s)	Relationship with the subscriber	Age of the nominee(s)	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid.	Name, addrsess and relationship of the persons(s) if any, to whom the right of nominee shall pass in the event of hi /her predecessing the subscriber	If the nominee is not a member of the family as provided in Regulation 2(5) indicate the reasons.
1	2	3	4	5	6	7

Dated this————day of 19....at..............

Signature of the Subscriber. ————

Name in the Block Letters ————

Designation ————

Two witness to Signature

Name and Address :

1.

2.

Signature ————

Space for use by the Head of Deptt./Accounts Office Nomination by Shri/Smt./Kum.———— Designation————

Date of receipt of Nomination————

Signature of Head of Deptt./Accounts Officer————

Designation ————

Date ————

Instructions for Subscribers :

(a) Your name may be filled in

(b) Name of the Fund may be completed suitably.

(c) Definition of term "Family" as given in the Visakhapatnam Port Employees' (General Provident Fund) Regulations, 1993 is reproduced below :

Family means —

(i) In the case of male subscriber, the wife or wives, parents, children Minor brothers, unmarried sisters, deceased Son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grand parent.

Provided that if a subscriber prove that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customery law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall hence forth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate, unless) the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded ;

(ii) In the case of a female subscriber, the husband parents, children, minor brothers, unmarried sister, deceased sons widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grand parent.

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall be henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

Note.- "Child" means legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognised by the personal law governing the subscribers.

(d) Col. 4.- If only one person(s) child nominated, the words 'in full should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.

(e) Col. 5. Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.

(f) Col. 6. Do not mention your name.

(g) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

SECOND SCHEDULE (REGULATIONS 14 & 17)

Particulars of the
courses of study for which advances/withdrawals may be given.

(a) Diploma course in the various fields of Engineering and Technology, e.g. Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Tele-communication/Radio Engineering, metallurgy, automobile engineering, textile technology, leather technology, printing technology, chemical technology, etc., etc. conducted by recognised technical institutions.

(b) Degree courses in the various fields of Engineering and Technology, e.g. Civil Engineering, Mechanical Engineering, electrical Engineering, tele-electrical communication engineering and electronics, mining engineering, metallurgy, aeronautical engineering, chemical engineering, chemical technology, textile technology leather technology, parmacy, ceramics etc., etc. conducted by Universities and recognised technical institutions.

(c) Post-graduate courses in the various fields of Engineering and Technology conducted by the Universities and recognised institutions.

(d) Degree and Diploma courses in Architecture, Town Planning and Allied fields conducted by recognised institutions.

(e) Diploma and certificate courses in commerce conducted by recognised institutions.

(f) Diploma courses in the Management conducted by recognised insitutions.

(g) Degree courses in Agriculture, Veterinary science and allied subjects conducted by recognised Universities and institutions.

(h) Courses conducted by Junior Technical Schools.

(i) Courses conducted by Industrial Training institutes (under the Ministry of Labour & Employment(DGET&T)

(j) Degree and Diploma courses in Art/Applied Art and allied subjects conducted by recognised institutions.

(k) Draftsmanship courses by recognised institutions.

(l) Medical courses (including Allopathic, Homeopathic, Ayurvedic and Unani systems) conducted by recognised institutions.

(m) B.Sc. (Home Science) courses.

(n) Diploma courses in Hotel Management conducted by recognised institutions.

(o) Degree and post-graduate courses in Home Science.

(p) Pro-professional course in Medicine if part of regular 5 years course in medicine.

(q) Ph.D. in biochemistry.

(r) Bachelor and Masters degree courses in physical education.

(s) 5 years degree, 3 years degree and post-graduate course in law.

(t) 'Honours' courses in 'Microbiology'.

(u) Associateship of the Institute of Chartered Accountants.

(v) Associateship of the institute of costs and works Accountants.

(w) Degree and Masters course in Business administration or Management.

(x) Diploma course in Hotel Management.

(y) M.Sc. Course in statistics.

(z) Any Computer course.

NOTE :—Payment of initial charges for admission to the National Academy, Khadakvasala will also qualify

---

FORM-2 (See Regulation 24)

Form of Application for Final Payment/Transfer to Corporate Bodies/Other Governments of Balances in the————————————Provident Fund Account.

To
The F.A. & C.A.O.
————————————

(Through the Head of Deptt.)

Sir,

I am to retire/have retired/have been discharged/dismissed/have been permanently transferred to———— have resigned finally from Board's service/have resigned service under Board to take up appointment with———————and my resignation has been accepted with effect from————————forenoon/afternoon. I joined service with——————on——————forenoon/afternoon.

2. My Provident Fund Account No is——————————————.

3. I desire to receive payment through my office /through the Accounts Department. Particulars of my personal marks of identification, left hand thumb and finger impressions (in the case of illiterate subscribers) and specimen signature (in the case of literate subscribers) in duplicate, duly attested by a Class-I Officer of the Board are enclosed.

PART-I

(To be filled in when the application for final payment is submitted up to one year prior to retirement)

4. I request that the amount of Rs.————————standing to the credit in my Provident Fund Account as indicated in the Accounts Statement issued to me for the year————— (Enclosed)/as appearing in my ledger account being maintained by Accountants Department may please be arranged to be paid to me as first instalment of final payment.

5. After payment of the first instalment of my provident fund balance, I will apply for the payment of subsequent instalments in Part-II of the Form immediately on retirement.

Yours faithfully,

(——————————)

Signature :

Station :

Name :

Date :

Address :

——————————

——————————

This applies only when payment is not desired through the Head of Department

(FOR USE BY HEADS OF DEPARTMENTS)

Forwarded to the FA&CAO for necessary action.

2. The Provident Fund Account No. of Shri/Shrimati/Kumari (as certified from the statements furnished to him/her from year to year) is——————————————.

3. He/She is due to retire from Boards service on——————————.

4. Certified that he/she had taken the following advances in respect of which—— ——————————ins-

talment of Rs.——————are yet to be recovered and credited to the Fund Account. The details of the final withdrawals granted to him/her are also indicated below:

Sl.	Temporary advances	Final Withdrawals.
1.		
2.		
3.		
4.		

Signature of the head of Department

PART-II

(To be submitted by the Subscriber immediately after his retirement. This Part is also applicable in the case of subscribers who apply for final payment for the first time after the date of superannuation, discharge, resignation, etc.)

In continuation of my earlier application, dated————for the final payment of Provident Fund balances I request that the entire balance at my credit with interest due under the rules may be paid to me.

OR

I request that the entire amount at my credit with interest due under the rules may be paid to me/transferred to————————.

Signature :
Name :
Address :

FOR USE BY HEADS OF DEPARTMENTS)

Forwarded to the FA & CAO, for necessary action/in continuation of Endorsement No.————dt.——

2. He/She has finally retired/has been discharged/dismissed/has been permanently transferred to————has resigned finally from Boards service/has resigned service under Board to take up appointment with————————and /his/her resignation has been accepted with effect from————————forenoon/afternoon. He joined service with——————on————————forenoon/afternoon.

3. The last fund deduction was made from his/her pay in this office Bill No.————————dt.————————for Rs.————(Rupees————————————cash voucher No————dt.————the amount of deduction being Rs.————and recovery on account of refund of advance Rs.————and V.P.F. Rs.————.

4. Certified that he/she was neither sanctioned any temporary advance or any final withdrawal from his/her Provident Fund Account during the 12 months immediately preceding the date of his/her quitting service under Board.

OR

Certified that the following temporary advances/final withdrawals were sanctioned to him/her and drawn from his/her Provident Fund Account during the 12 months immediate preceding.

The date of his/her quitting service under Board.

Sl. No.	Amount of Advance/withdrawal	Date	Voucher No.
1.			
2.			
3.			

5. Certified that no amount was withdrawn/the following amounts were withdrawn from his/her Provident Fund Account during the twelve months immediately preceding the date of his/her quitting service under Board for payment of Insurance premia or for the purchase of a new policy.

Sl.	Amount	Date	Voucher Number
1.			
2.			
3.			

*6. It is certified that no demands/following demands of Board are due for recovery.

**7. Certified that he/she has not resigned from Boards service with its prior permissions to take up an appointment in another Major Port Department or department of the Central Government or under a State Government or under a body corporate owned or controlled by the State.

(————————————)

Signature of Head of Department

* Certificate No. 6 to be furnished in the case of contributory Provident Fund only.

** Please score out if not necessary

FORM 3

(See Regulation 22)

Form of application for final payment of balances in the Provident Fund Account of a SUBSCRIBER to be used by the nominees or any other claimants where no nomination subsists.

***

To

The F.A. & C.A.O.

....

....

(Through the Head of the Department)

Sir,

It is requested that arrangements may kindly be made for the payment of the accumulations in the ———— Provident Fund Account of Shri/Smt.———————————————————The necessary particulars required in this connection are given below :—

1. Name of the employee . . . .
2. Date of Birth . . . .
3. Post held by the employee . . . . . .
4. Date of death . . . .
5. Proof of death in the form of a death certificate issued by the Municipal authorities etc. if available. .
6. Provident Fund Account No. allotted to the subscriber. . . . .
7. Amount of Provident Fund money standing to the credit of the subscriber at the time of his death, if known. .
8. Details of the nominees alive on the date of death of the subscriber if a nomination subsists. . .

Sl. No.	Name of the nominee	Relationship with the subscriber.	Share of the nominee.
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....
5.	....	....	....

9. In case the nomination is in favour of a person other than a member of the family, the details of the family if the subscriber subsequently acquired a family

Name	Relationship with the subscriber	Age on the date of death.
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....

10. In case no nomination subsists the details of the surviving members of the family on the date of death of the subscriber. In the case of a daughter or of a daughter of a deceased son of the subscriber, married before the death of the subscriber, it should be stated against her name whether her husband was alive on the date of death of the subscriber . . . .

Name	Relationship with the subscriber	Age on the date of death.
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....

11. In the case of amount due to a minor child whose mother (widow of subscriber) is not a Hindu, the claim should be supported by Indemnity Bond or Guardianship certificate, as the case may be. . .

12. If the subscriber has left no family and no nomination subsists, the names of persons to whom the Provident Fund money is payable (to be supported by letter of probate or succession certificate, etc). . .

Name	Relationship with the subscriber.	Address
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....

13. Religion of the claimant(s) . . . . . .

*14. The payment is desired through the office of F.A. & C.A.O./through the Department. In this connnection the following documents duly attested by Class-I Officer in service are attached :—

(i) Personal marks of identification . . .

(ii) Left/Right hand thumb or finger impressions (in the case of illiterate claimants). . . .

(iii) Specimen signatures in duplicate (in the case of literate claimants) . . . .

Yours faithfully,
(Signature of claimant)

Station :——————————

Date :——————————

(Full name and address)

*This applies only when payment is not desired through the Head of Department.

(FOR USE OF HEAD OF DEPARTMENT)

Forwarded to the F.A. & C.A.O...for necessary action. The particulars furnished above have been duly verified.

2. The Provident Fund Account No..............................of Shri/Smt./Kum.................. (as verified from the annual statements furnished to him/her/him is...............................

3. He/She died on....................................A death certificate issued by the Municipal authorities has been produced/is not required in this case as there is no doubt about his/her death.

4. The last fund deduction was made from his/her pay for the month of..................drawn in this office bill No.——————dated——————for Rs.—————— (Rupees——————————) Cash Voucher No.—————— dt.——————the amount of deduction being Rs.——————and recovery, on account of refund of advance of Rs.——————and V.P.F. of Rs.——————.

5. Certified that he/she was neither sanctioned any temporary advance for any final withdrawal from his/her Provident Fund Account during the 12 months immediately preceding the date of his/her death.

OR

Certified that the following temporary advances/final withdrawals were sanctioned to him/her and drawn from his/her provident Fund Account during the 12 months immediately preceding the date of his/her death.

	Amount of Advances/withdrawals	Date and place of encashment	Voucher number
1.			
2.			

7. It is certified that ——————(no demand / following demands) of Board is/are due for recovery.

(———————————)

(Signature of the Head of Department)

NOTE :—Certificate No. 6 to be furnished in the case of C.P.F. only.

......

FORM-4

(See Regulation 14)

Proforma for application for advance from Provident Fund.

Department of——————————

Application for Advance from . . . . . ——————————

(Here enter the name of Fund)

1. Name of the subscriber . . . .
2. Account Number (with Departmental suffix) . .
3. Designation . . . .
4. Pay . . . . Rs.
5. Balance at credit of the subscriber on the date of application as below :
   (i) Closing balance as per statement for the year . Rs.
   (ii) Credit from——————to——————on account of monthly subscription Rs.
   (iii) Refunds . . . . . . Rs.

(iv) Withdrawals during the period from—————
to——————— Rs.

(v) Net balance at credit Rs.

6. Amount of advance/outstanding, if any, and the purpose for which advance was taken by them.
Amount of advance taken Rs............... Balance outstanding ...... Rs.————————

7. Amount of advance required Rs

8. (a) Purpose for which the advance is required.

(b) Rules under which the request is covered.

(c) If advance is sought for House Building etc. following information may be given :

(i) Location and measurement of the plot.

(ii) Whether plot is freehold or on lease.

(iii) Plan for construction

(iv) If the flat or plot being purchased is from a H.B. Society, the name of the Society the location and measurements, etc..

(v) Cost of construction

(vi) If the purchase of flat is from VUDA or any Housing Board, etc., the location dimension, etc., may be given

(d) If advance is required for education of children following details may be given

(i) Name of the son/daughter

(ii) Class and Institution/College whether studying

(iii) Whether a day-scholar or a hostler

(e) If advance is required for treatment of ailing family members following details may be given :

(i) Name of the patient and relationship.

(ii) Name of the Hospital/Dispensary/Doctor where the patient is undergoing treatment

(iii) Whether outdoor/indoor patient

(iv) Whether reimbursement available or not

NOTE :—In case of advance under 8(c) to 8(e), no certificate or documentary evidence would be required

9. Amount of the consolidated advance (items 6 & 7) and number of monthly instalments in which the consolidated advance is proposed to be repaid Rs. ———————— in instalments

10. Full particulars of the pecuniary circumstances of the subscriber, justifying the application for the advance

I certify that particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed by me.

Signature of Applicant :
Name :
Designation :
Department :

Date :

Place :

Proforma for sanction of advance from Provident Funds

No.

Department/Office.

ORDER

Sanction of the——————————is hereby accorded under Regulation————————of ——————————for the grant of an advance of Rs——————————(Rupees——————————only) to Shri /Smt./Kum.——————————from his/her G.P.F. Account No.——————————to enable him/her to defray express——— on——————————.

2. The advance will be recovered in ——————————monthly instalment of Rs.——————————each, commencing from the salary for the month of ——————————payable in——————————.

3. A sum of Rs.............(Rupees —————————— only) out of advance of Rs.—————— sanctioned in——————————and paid to him/her in——————————will be outstanding till th commencement of the recovery of the consoridated amount as specifying below. This amount together with the advance now sanctioned aggregating to Rs.——————————will be recovered in —————— monthly instalments of Rs.——————————each commencing from the salary for the month of—————— payable in——————————.

4. The balance at the credit of Shri——————————as on——————————is detailed below:

(i) Balance as per account slip for the year . . Rs.——————

(ii) Subsequent deposits and refunds of advance at the rate p.m. from ——————to—————— Rs.——————

(iii) Total of Col. (i) and (ii) . . . . . Rs.——————

(iv) Subsequent withdrawals, if any . . . Rs.——————

(v) Balance as on date of sanction Col. (iii)—(iv) . Rs.——————

To——————————

SANCTIONING AUTHORITY

(Regulation-17)

Proforma for application for withdrawal from Provident Funds

Department of——————————

Application for withdrawal from——————————————————————

(Here enter the name of the Fund)

1. Name of the subscriber . . . .

2. Account Number . . . .

3. Designation . . . . (with departmental suffix)

4. Pay . . . .

5. Date of joining service and the date of superannuation

6. Balance at credit of the subscriber on the date of application as below :

(i) Closing balance as per statement for the year .

(ii) Credit from——————————to ——————on account of monthly subscriptions . .

(iii) Refunds made to the Fund after the closing balance vide (i) above . . . .

(iv) Withdrawal during the period from———————
to—————————.

(v) Net balance at credit on date of application

7. Amount of withdrawal required

8. (a) Purpose for which the withdrawal is required
(b) Rule under which the request is covered

9. Whether any withdrawal was taken for the same purpose earlier, if so, indicate the amount and the year

10. Name of the Accounts Officer maintaining the Provident Fund Account

Signature of Applicant
Name :

Dated :

Designation :
Department :

Proforma for sanctioning withdrawals from Provident Funds

No.——————

Department of———————

To

—————————————(Name of Accounts Office maintaining the Provident Fund Account————————————).

Subject :—Withdrawal from the——————————(here enter the name of the Fund) by Shri———————————

Sir,

I am directed to convey sanction of the ——————————under Regulation of the——————— Regulations——————————to the withdrawal by Shri——————————(here enter the designation) of a sum of Rs.——————————(Rupees——————————only) from his—————— ——————Fund Account No. ——————————————(with departmental suffix) to enable him to meet expenditure.

2. The amount of withdrawal does not exceed six months pay of Shri——————————or half the amount at his credit/subscription in the——————————Fund Account, whichever is less/three fourths of the amount at the credit/subscription of Shri——————————in the ——————Fund Account. His basic pay is Rs.——————(as defined in FRs)

3. It is certified that Shri——————————is with in 10 years of his retirement on superannuation/has completed twenty/twenty five years of his Boards service on——————————

4. It is also certified that the total amount drawn, including the withdrawal from the GPF from all Board sources by Shri——————————for house building purposes does not exceed the maximum limit prescribed from time to time under Rules 2(a) and 3(b) of the Scheme of the Ministry of Works and Housing for grant of advances for house building purposes.

5 The balance at the credit of Shri——————————as on ——————————is detailed below:

(i) Balance as per account slip for the year Rs——————

(ii) Subsequent deposits and refunds of advance at the rate—————— p.m.——————from to—————— Rs.——————

(iii) Total of Col. (i) and ii) Rs.——————

(iv) Subsequent withdrawals. if any Rs.——————

(v) Balance as on date of sanction Co. (iii)—(iv) Rs.——————

6. Shri ——————————was last sanctioned a part-final withdrawal by this office for an amount of Rs.——————vide——————after the accounts statement for the year——————

*Shri——————————is understood (as stated by him) to have been last sanctioned a part-final withdrawal of Rs.——————by——————

Yours faithfully,
Sanctioning Authority

Copy forwarded to :

1

2 Shri—————————————His attention is drawn to the provisions of the Regulations of V.P.E. (G.P.F.), Regulations 1993 according to which a subscriber who has been permitted to withdraw money from the fund should satisfy the sanctioning authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn. A certificate to the effect that withdrawal sanctioned above has been utilised for the purpose for which it has been sanctioned, many, therefore, please be furnished within————————————months of the drawal of the money.

3. Accounts Officer.

---

*The alternative certificate is to be recorded in the sanctions of those subscribers in whose case the particulars of last sanction for part-final withdrawal, are not available with the office for reasons such as transfer of an employee from another office, etc.

FORM—6

(See Regulation-19)

Form of Application for conversion of an advance into final withdrawal.

1. Name of the Subsciber
2. Designation and office to which attached
3. Pay
4. Name of the Provident Fund and Account Number
5. Balance at credit on the date of application (amount actually subscribed by him along with interest due thereon in the case of GPF Subscriber)
6. (a) Balance outstanding to be converted into a final withdrawal
   (b) Interest due on the amount of advance taken
7. (a) Purpose for which advance taken
   (b) Date of payment of the advance
   (c) Amount of advance sanctioned
8. Particulars of communication under which advance was sanctioned
9. Whether any advance or final withdrawal has been drawn previously for the purpose mentioned above, If so, particulars thereof
10. (a) Total service, including broken periods, if any, on date of this application
    (b) Period of service left on the date of application for attaining the age of superannuation
    (c) The date of superannuation

Place : SIGNATURE OF THE APPLICANT

Date :

No. DATED :——————————

The above particulars have been verified to be correct.

Signature and designation of recommending authority.

No.——————

Dated——————

Sanction of——————————————————is hereby conveyed/accorded under Regulation 18 of the V.P.E. (GPF) Regulations for the conversion into final withdrawal of an amount of Rs.—————— (Rupees——————————————only). being the outstanding balance out of the G.P.F. advance of Rs.——————(Rupees———————————————only) sanctioned on——————19——— and drawn infBill No.——————of ——————————for the (purpose—— ——————————to Shri/Shrimati/Kumari——————————————————of the office of the———————————————————————(G.P.F. Account No.——————————).

Signature——————————
Designation ——————————
Dated——————————

No.
Copy forwarded to :

(i) ——————————
(ii) ——————————
(iii) ——————————etc. etc.

Signature——————————
Designation——————————

FORM-7

(See Regulation 28)

Office of the·· ········ ··· ··················Statement of particulars for allotment of Provident Fund Account Numbers to compulsory subscribers for the month of ···

Head of Account to which pay and allowances are debited··································· (See Decision below Regulsions 4)

Sl. No.	Name of employee (subscriber).	Name of Subscriber's father//husband.	Date of birth of subscriber	Date of joining service	Designation.
1	2	3	4	5	6
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					

No··Dated··

Forwarded in duplicate to the FA&CAO for necessary action. The employees whose names are included in their statements are required to join the··································Fund··..under the··regulations of Board of································ Their names have not been included in the previous statements and they are not already members of any Provident Fund (Nominations are enclosed as mentioned in the remarks column).

Certified that all the employees whose names are shown above are eligible to subscribe to the Provident Fund in accordance with the relevant regulations.

(························)
(Head of Department)

Please read carefully the instructions printed on the reverse before filling in the form.

Name of Fund ....

Emoluments.	Monthly rate of subscription (in whole rupees)	Month from which subscription to commence.	Remarks	To be filled in by FA&CAO Account No. allotted.
7	8	9	10	11
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

No...Dated ....

Retur to....... ....Account Nos. allotted may be intimated to the subscribers and also noted in the Service Register nominations and other official recrods, in all correspondence connected with Provident Fund of any subscriber, the account number should be quoted, Receipt of nominations at Sl.Nos..........................is hereby acknowledged.

Accounts Officer

Office of the FA&CAO...................

....

Instructions for filling the Statement:

(a) This form should be used only in cases where subscription to the Fund is compulsory.

(b) Separate forms should be used for persons whose pay and allowances are debited to different Major and Sub-Major Heads of Account.

(c) Name of the Fund may be filled in suitable words (e.g.) General Provident Fund.

(d) The statement should be sent in duplicate. It should include permanent employee who joined service in the previous month and are required to join the fund compulsorily on entry into Board's service and temporary employees who will complete one years' continuous service or otherwise become eligible to subscribe to the Provident Fund, three months hence.

(e) Column 3 Husband's name (instead of father's name) may be given in respect of married female subscribers indicating the position.

(f) Column 7 Dearness pay, if any, may be distinctly shown.

(g) Column 8 Please see Regulation 9 of VPE (GPF) Regulations, 1992.

(h) Column 9 Under the VPE (GPF) Regulations, 1992 temporary employee who completes one year's continuous service during the middle of a month shall commence subscribing to the G.P. Fund from his/her salary for the month following that in which he/she completes one year's service.

(i) The nominations should be obtained in the prescribed form from the subsceriber and forwarded to the FA&CAO along with this statement making a suitable note in the remarks column.

Sd/-

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994